सुदृढ़अन्तः परिचालित द्वार पर डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम का निर्माण

प्रत्येक नागरिक के द्वार पर प्रौद्योगिकी द्वारा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक | India Post Payments Bank

आपका बैंक, आपके द्वार

Annual Report 2019-20
वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

अंतःपरिचालित डिजिटल द्वार पर बैंकिंग इकोसिस्टम

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) ने सीमाओं के पार की अपनी यात्रा की शुरुआत 1 सितम्बर, 2018 को की जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया. आईपीपीबी के लोकार्पण की घोषणा करते हुए, उन्होंने एक ऐसे संस्थान की कल्पना की थी जो बैंकिंग को अंतिम छोर तक ले जाता है, वित्तीय समावेशन को बढाता है और जमीनी स्तर पर आर्थिक रूपान्तरण करता है. पिछले दो वर्ष असंभव को प्राप्त करने के और प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ नई सीमाओं को पार करने से कुछ कम नहीं रहे. बैंक ने दृढ.निश्चय और देश की सेवा के प्रति अत्यधिक उत्साह से इन चुनौतियों को पार किया. एक पैतृक संस्थान की नींव पर सर्वाधिक प्रौद्योगिकी समर्थित बैंक की स्थापना कर, आज हमने एक अकेले संस्थान - डाक विभाग (डीओपी) के नेटवर्क और पहुंच का उपयोग कर के वित्तीय सेवाओं की एक विशाल संरचना का सृजन किया है.

आईपीपीबी के लक्षित बाजार खंड, समाज के वित्तीय रुप से सर्वाधिक वंचित ओर संवेदनशील भागों के होने के कारण, बैंक ने किफायती नवोन्मेरषिता तथा सरल व अंतर्ज्ञानी उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से अन्तिम छोर तक सहायक बैंकिंग को समर्थ किया है. चाहे बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पिन/ पासवर्ड याद करने की आवश्यकता को हटा कर खाता खोलने और संव्यवहार करने का प्रस्ताव हो अथवा कोर बैंकिंग प्लेटफार्म से वास्ताविक समय में जुडे.बायोमीट्रिक डिवाइस और स्मातर्टफोन से लैस डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा, ग्राहकों के द्वार पर बैंकिंग सेवाओं का प्रस्ताव हो, आईपीपीबी ने भारत में बैंकिंग और वित्तीय समावेशन परिदृश्य का रूपांतरण कर दिया है.

डाक विभाग की व्यापक पहुंच का लाभ उठाकर, स्तरीय राष्ट्रीय पहचान के सृजन के लिए हस्तक्षेपों के साथ-साथ, अंगीकरण के लिए अंन्तःपरिचालित भुगतान प्रणालियों के प्रादुर्भाव के कारण आईपीपीबी, अंतिम छोर के बैंकिंग रहित और अल्प बैंकिंग सुविधावालों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक उत्पाद और सेवाएं देने के लिए अद्वितीय स्थिति में है. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवाओं का लोकार्पण करके, बैंक किसी भी बैंक के ग्राहकों को अंतःपरिचालित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में अकेला सबसे बडा प्लेटफार्म बन गया है. एईपीएस के साथ, आधार से जुडे.किसी बैंक खाते का ग्राहक, नकदी जमा और शेष राशि

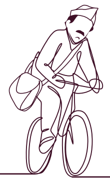

पूछताछ जैसी मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है, चाहे उसका खाता किसी भी बैंक के पास हो. एईपीएस के संभावित खेल परिवर्तक होने से, अंतः परिचालित बैंकिंग पारम्परिक बैंकिंग इकोसिस्टम में सुगम्यता की चुनौतियों का सामना कर रहे ग्राहकों के समावेशन को नया बल देती है.

2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कोरोना महामारी, जिसने अकथनीय दुर्गति की है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस स्त्र तक तहस-नहस किया है जैसा हाल के समय में वास्तव में कभी नहीं हुआ, की पृष्ठभूमि में आई है. ऐसे अत्यधिक दुष्कर और कठिन समय में, इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी के कोरोना योद्धाओं ने निर्विघ्न. बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सभी हितधारकों की ओर से, आईपीपीबी उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है.

जब हम आगे बढते हैं और नव-सामान्य को अपनाते हैं, हमारा लक्ष्य अपनी ग्राहक सेवा के लिए पहचाने जाने वाला एक ऐसा बैंक बनने का है जो प्रत्येक परस्पर क्रिया में अतिरिक्त प्रयास से ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने के साथ ही, अपनी सत्यनिष्ठा और अधिशासन के उच्चतम मानकों के लिए विश्वससनीय हो. आईपीपीबी अपने हितधारकों को अनुकूल और चुस्त व्यवसाय मॉडल, जो डिजिटल और तकनीक की सामर्थ्य का उपयोग करता है, के द्वारा मूल्यापरकता प्रदान करने और ''प्रत्येक भारतीय के संव्यवहार करने के ढंग को बदलने'' के लिए प्रतिबद्ध है.

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट
(2019-20)

अनुक्रमणिका

- आईपीपीबी एक नजर में 01
  - इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के बारे में ....
  - विजन ....
  - मिशन ....
  - मार्गदर्शी सिद्धान्त ....
  - सेवा घटक ....
  - उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक समूह ....
  - ग्राहक खंड ....
  - बढ़ते कदम ....
- कारोबारी उपलब्धियां 14
- कार्यात्मक उपलब्धियां 16
  - मानव संसाधन ....
  - विपणन ....
  - व्यवसाय विकास- उद्यम एवं सरकार ....
  - ग्राहक सेवा ....
  - सूचना एवं सायबर सुरक्षा ....
  - परिचालन ....
- कीर्तिमान व उपलब्धियां 33
- निर्देशक मंडल 35
- सम्मान व मान्यता 36
- प्रमुख गतिविधियां 39
- मीडिया कवरेज 41
- अध्यक्ष का संदेश 42
- निर्देशक की रिपोर्ट 44
- साचिविक लेखा परीक्षक रिपोर्ट 65
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट 70
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते 82
- सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 117
- कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर 119

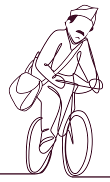

आईपीपीबी एक नजर में

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के बारे में

हर बैंक आपके द्वार

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना देश के सामान्य नागरिक के लिए सबसे सुलभ, वहनीय एवं भरोसेमंद बैंक का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई है। इसका मूल अधिदेश बैंक रहित एवं कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए बाधाओं को दूर करना तथा डाक नेटवर्क की व्यापक पहुंच का उपयोग कर अंतिम छोर तक पहुँचना हैं.

01 सितम्बर, 2018 को इसके राष्ट्रव्यापी लोकार्पण के पश्चात, आईपीपीबी ने 136,000 से अधिक डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं का व्यापक समूह प्रदान करने में सक्षम बनाया हैं, जिसमें से 110,000 ग्रामीण भारत में हैं, जिससे ग्रामीण बैंकिंग संरचना में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई हैं। द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 174,000 से अधिक डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्ट फोन और बायोमीट्रिक उपकरणों से लैस किया गया हैं।

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवाओं के प्रारम्भ होने के साथ ही, आईपीपीबी डाक विभाग की अंतिम छोर तक अभूतपूर्व पहुंच का लाभ प्राप्त करते हुए किसी भी बैंक के ग्राहक को अंतःपरिचालित द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला देश का अब एकमात्र सबसे बड़ा मंच भी बन गया हैं। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने सम्बंधित डाकघरों की क्षमता ने 'ग्रामीण बैंकिंग सेवा केंद्र' की औसत दूरी को 5-6 कि.मी. (ग्रामीण बैंक शाखा संरचना) से घटा कर अब 2.5 कि.मी. (डाकघर से औसत दूरी) कर दिया हैं। अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवा प्रदाताओं (डाकियों/ग्रामीण डाक सेवकों) की प्रत्येक गांव तक लगभग प्रतिदिन पहुंचने की क्षमता ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की दूरी को '0 कि.मी.' तक नीचे ला दिया हैं, इस तरह आपका बैंक, आपके द्वार के सार को वास्तव में आत्मसात किया गया हैं.

जन-धन कार्यक्रम लाखों भारतीयों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने में सहायक था। हमारे देश में 40 करोड़ से अधिक जन-धन खाताधारक हैं, जिसमें से 22 करोड़ खाता धारक ग्रामीण भारत में हैं। अब आईपीपीबी एईपीएस सेवाओं से, 40 करोड़ जन-धन खाताधारकों सहित सभी ग्राहक खंडों को सेवा देने की क्षमता रखता हैं तथा पारम्परिक बैंकिंग इको सिस्टम में पहुंच सम्बंधित चुनौतियों का सामना करने वाले ग्राहकों का समावेशन करने को नई गति प्रदान कर रहा हैं.

आईपीपीबी ने अंतिम छोर पर बैंक रहित कम बैंक सुविधा वाले और बैंक रहित क्षेत्रों के लिए डिजिटल अंगीकरण को सरल बनाने के लिए और सहायक बैंकिंग मॉडल को सक्रिय करने के लिए अद्वितीय समाधान भी प्रस्तुत किए हैं.

ये हैं:

- **क्यूआरकार्ड**- यह खाता संख्या याद रखने की परेशानी के बिना बैंक खाते तक पहुंचने की एक अद्वितीय, सुरक्षित और सुविधाजनक शैली प्रदान करता हैं. ग्राहक को पिन / पास वर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ओटीपी (एक बार पासवर्ड) के प्रयोग से प्रमाणीकरण कर के तथा कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज दिखा कर संव्यवहार प्रारम्भ किया जा सकता हैं. इसे नकद संव्यवहार, धन - अंतरण, बिल भुगतान, अथवा नकदी रहित खरीददारी के लिए प्रयोग किया जा सकता हैं.

31 मार्च, 2020 तक प्रमुख उपलब्धियाँ

- 2.36 करोड़ ग्राहक
- समग्र वित्तीय संव्यकवहारों का मूल्य व 14500 करोड़ रुपये से अधिक
- अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भुगतान बैंक
- 1,36,000 + डाकघरों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध जिसमें से 1,10,000 ग्रामीण भारत में
- 174000 डाकिए एवं ग्रामीण डाक सेवक अंतर परिचालित द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.
- सभी सेवा चैनल 13 भाषाओं में उपलब्ध

- **सहायक यूपीआई:** यूनिफ फार्म पेमेन्ट्स इंटरफ फेस (यूपीआई) में ग्राहकों की ऑन बोर्डिंग हेतु प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा जिनके पास स्मार्ट फोन ओर डेबिट कार्ड नहीं हैं, उनके द्वारा यू पी आई संव्यवहार सुविधाजनक बनाना.

किफायती नवोन्मेषिता और उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी संरचना का लाभ प्राप्त करते हुए, आईपीपीबी सभी स्वयं-सेवा चैनलों (मोबाइल ऐप, मर्चेंट ऐप) एवं सहायक चैनल (माइक्रो एटीएम) पर मोबाइल फोन की सहूलियत द्वारा मोबाइल एप के जरिए बैंक खाते तक पहुंच और संव्यवहार करने के लिए 13 भाषाओं में तकनीकी रुप से उन्नत, सरल, सुरक्षित एवं सहज उपयोग मोबाईल बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराता है। मोबाइल बैंकिंग एप ग्राहकों को सुविधाओं के बिलों का भुगतान ,बीमा प्रीमियम, ऋणों की ईएमआई का भुगतान, निधि अंतरण, डिजिटल बचत खाता खोलने और ऐसी अन्ये अनेक सेवाओं में सक्षम बनाती है. आईपीपीबी की मर्चेंट एप से मध्यम और लघु आकार के व्यवसाय धन - प्रवाहों को प्रभावी और सुरक्षित तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, साथ ही डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं. व्यापारी संव्यधवहारों के लिए न केवल त्वरित एसएमएस सूचनाएँ प्राप्त करते हैं बल्कि एक डेश बोर्ड पर बिक्री एवं व्यवसाय निष्पादन का पूर्ण संक्षिप्त विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं.

सामाजिक रुप से उत्तरदायी संगठन के रुप में, आईपीपीबी ने लगभग 2.8 लाख डाक सहायकों, डाकियों और जीडीएस के बैंकिंग सेवा प्रदाता के रुप में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन में एक करोड़ से अधिक श्रम घंटों का निवेश करके एक सबसे बड़े डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को कियान्वित किया है .

आईपीपीबी अब डाक विभाग के ग्राहकों को अंतःपरिचालित बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की क्षमता देता है और उन्हें बैंकिंग इको सिस्टम से जोड़ता है. आईपीपीबी ने सरल क्यू आर कोड के माध्यम से इलेक्ट्रांनिक भुगतान स्वीकार करने के लिए सभी डाकघर काउंटरों को डिजिटल बना दिया है और विभिन्न डाक घर बचत योजनाओं में सीधे भुगतानों और डाक उत्पादों की खरीद को भी सक्षम कर दिया है. आई पीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा डिजिटल इंडिया के विजन में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा नीति वाक्य सत्य है - प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक संव्यवहार अहम है और प्रत्येक जमाराशि बहुमूल्य है.

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे सुलभ, किफायती एवं भरोसेमंद बैंक का निर्माण करना।

विजन

बैंकिंग सुविधाओं की प्राप्ति हेतु बाधाओं को दूर करके एवं लागतों को घटाकर वित्तीय समावेशन का विस्तार करना।

मिशन

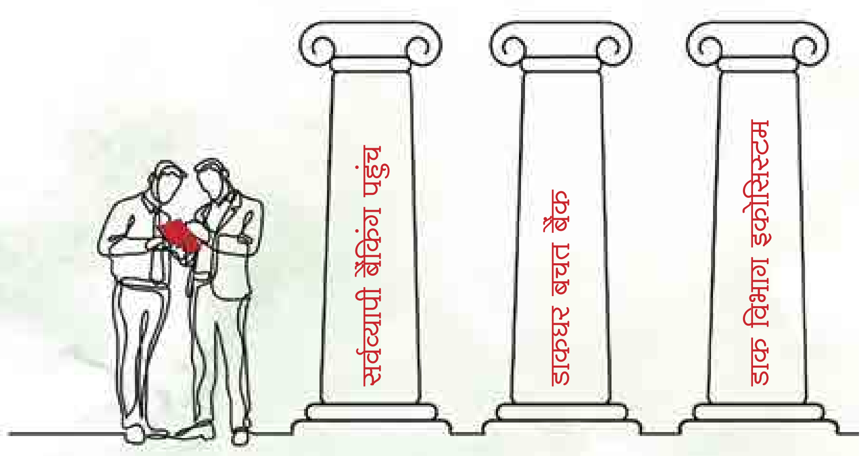

सर्वव्यापी बैंकिंग पहुंच

डाक नेटवर्क

- 1,56,600 (1,41,001 ग्रामीण क्षेत्रों में) डाकघर
- 4,00,000 डाक सेवा प्रदाता
- आईपीपीबी नेटवर्क
- 136,078 बैंकिंग पहुंच बिंदु
- 174,000 + द्वार पर बैंकर्स

अंतिम छोर सम्बंधित चुनौतियां

- 52,444 ग्रामीण शाखाएं
- बैंक तक औसत दूरी लगभग 10 कि.मी.
- 40 करोड़ + जन-धन खाते
- 57.4 करोड़ बीएसबीडीए खाते

एईपीएस का लाभ

- अंत:परिचालित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला देश का सबसे बड़ा एकल मंच
- ग्रामीण बैंकिंग संरचना में 2.5 गुना वृद्धि
- 40 करोड़+ जन-धन खातों को उनके द्वार पर बैंकिंग उपलब्धता

#आरबीआई के मार्च 2020 के आँकडों के अनुसार

डाकघर बचत बैंक ग्राहक

वित्तीय समावेशन में डाक विभाग की अग्रणी भूमिका

- लगभग 36.4 करोड़ डाकघर बचत बैंक ग्राहक
- लगभग 19 करोड़ पीओएसए धारक

चुनौती

- अंत:परिचालित बैंकिंग इकोसिस्टम से बाहर

आईपीपीबी खाते द्वारा पीओएसबी ग्राहकों को अंत:परिचालित बैंकिंग इकोसिस्टम से जोड़ना

डाक विभाग इकोसिस्टम को डिजिटल बनाना

- 25,000 डाक उत्पाद काउंटर
- 36.4 करोड़ डाकघर ग्राहकों के लिए डाकघर योजनाएँ (आरडी/टीडी/एसएसवाई /पीपीएफ्फ)

चुनौती

- नकदी प्रधान लेन-देन
- डाकघर काउंटरों पर इंडिया पोस्ट्र उत्पादों के लिए

डिजिटल भुगतानों कीक्षमता प्रदान करना

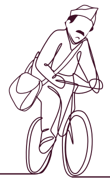

सेवा घटक

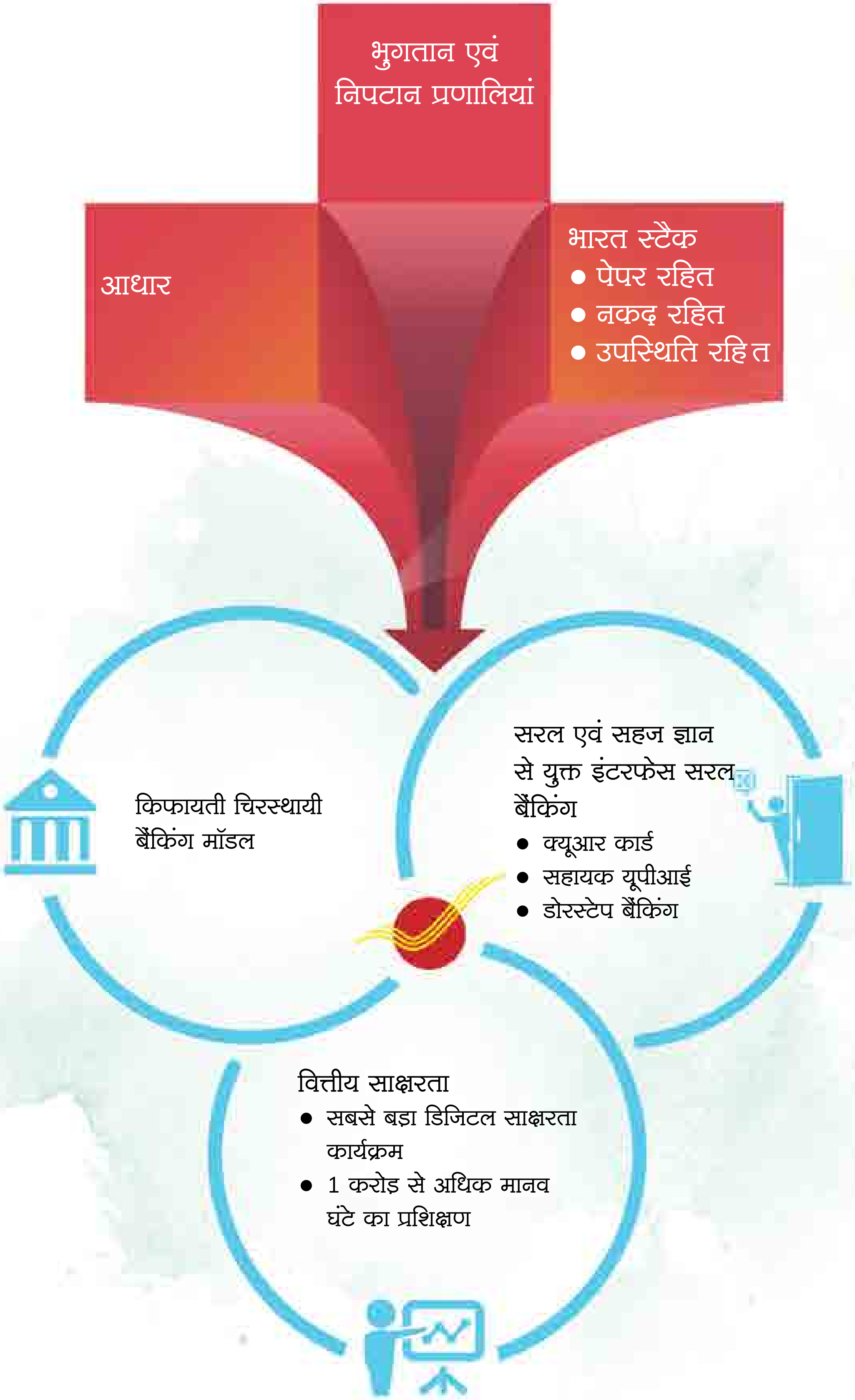
भुगतान एवं निपटान प्रणालियां
आधार
भारत स्टैक
● पेपर रहित
● नकद रहित
● उपस्थिति रहित
किफायती चिरस्थायी बैंकिंग मॉडल
सरल एवं सहज ज्ञान से युक्त इंटरफेस सरल बैंकिंग
● क्यूआर कार्ड
● सहायक यूपीआई
● डोरस्टेप बैंकिंग
वित्तीय साक्षरता
● सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
● 1 करोड़ से अधिक मानव घंटे का प्रशिक्षण

पहुंच

पारम्परिक बैंकिंग:
ग्रामीण भारत में 52,000+ बैंक शाखाएं
बैंक शाखा तक पहुंचने के लिए तय की गई औसत दूरी 5-6 किमी.

आईपीपीबी बैंकिंग:
आईपीपीबी ग्रामीण भारत में 136,000 डाकघरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है (155,000 डाकघरों में से)।

अब औसत दूरी घटकर 2.5 किमी. हो गई है।

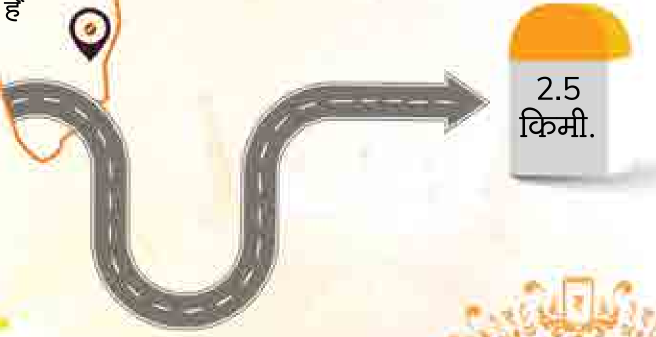

400,000 डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा द्वार पर बैंकिंग सेवा प्रस्तुत करने के कारण अब यह दूरी 2.5 किमी. से और घटकर 0 किमी. हो गई है।

किफायती

पारम्परिक बैंकिंग:

ग्रामीण किसानों द्वारा किया गया व्यय

- पारम्पारिक बैंकिंग
- व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया शुल्क
- ग्रामीण श्रमिकों द्वारा किया गया व्यय
- मजदूरी की हानि

आधार समर्थित भुगतान पद्धति (एईपीएस) सेवाएं

- बैंकिंग रहित क्षेत्र के लाखों ग्राहकों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए आईपीपीबी के प्रयासों को बढाता है.
- किसी भी बैंक के ग्राहकों को द्वार पर अंतः परिचालित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आईपीपीबी को सक्षम बनाता है.
- एईपीएस सेवाएं बैंक-अज्ञेयवादी हैं जो सस्ती संरचना पर कार्य कर द्वार पर बैंक सेवाओं की कम कीमत पर सुपुर्दगी सक्षम करती हैं.

एईपीएस सेवाओं से, किसी भी बैंक के ग्राहकों को अंतःपरिचालित बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए आईपीपीबी देश का अकेला सबसे बड़ा मंच बन गया है.

आईपीपीबी बैंकिंग:

किफायती एवं सुविधाजनक बैंकिंग

सुदृढ़ डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण

आधार द्वारा प्रमाणीकरण लेन-देन की लागत में कमी आना

धन से धन बढ़ता है
ग्राहक कम से कम राशि की निकासी करते हैं तथा अधिक ब्याज अर्जित करते हैं

ग्राहकों को न्यूनतम लागत पर सरकारी लाभों की प्राप्ति होती है

सरल बैंकिंग

वर्चुअल/डिजिटल डेबिट कार्ड

- कार्ड को स्वयं सेवा मोबाइल बैंकिंग एप से बनाया, अवरुद्ध, अनावरुद्ध किया जा सकता है.
- कार्ड को स्थायी रुप से अवरुद्ध करने में सहायता के लिए ग्राहक सुविधा.
- व्यक्ति अपनी प्रतिदिन प्रति संव्यवहार सीमाएं स्वयं निर्धारित कर सकते हैं.
- भारत में सभी रुपे समर्थित ई-कामर्स/व्यापारिक साइटस पर स्वीकार्यता

पारम्परिक बैंकिंग:

बैंकिंग में बाधाएं

व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन के बिना शीघ्र बैंकिंग लेन-देन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंक तक पहुंचने में लम्बी दूरी तय करना।

वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु अपने बैंक तक यात्रा करनी पड़ती है।

लोगों को स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में सूचित नहीं किया जाता।

आईपीपीबी बैंकिंग:

सरल एवं सहज

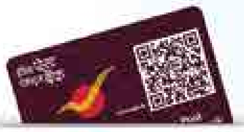

क्यूआर कार्ड:

- वास्तविक खाता पहचान
- सुविधाजनक

ग्राहकों के लिए:
लम्बी खाता संख्या याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं

इंड यूजर के लिए:
हस्त लिखित कार्यें में कमी

सहायक यूपीआई:

- परेशानी रहित ऑनबोर्डिंग पूर्व-समनरूपित आभासी व्यक्तिगत पता (वीपीए)
- सहायक विप्रेषण: ग्राहक को किसी स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है

डाकघर बचत खाता के साथ बाधा रहित एकीकरण

- अंतर-परिचालित
- सहायक एवं स्व-सेवा माध्यम

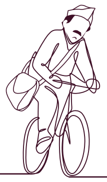

डिजिटल इकोसिस्टम

सुदृढ आधार स्तम्भों पर
निर्मित आईपीपीबी

आईपीपीबी का जीवन बीमा प्रारम्भिक प्रयास

- बजाज एलाइंज जीवन बीमा कं. लि. के साथ हुए समझौते के अनुरूप आईपीपीबी ने 2019 में 2 नये जीवन
- बीमा उत्पाद जारी किए सभी ग्राहक सम्पर्क बिंदुओं पर जीवन बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए तकनीक आधारित सुपुर्दगी प्रणालियां

आईपीपीबी बैंकिंग:
एक नया प्रतिमान

आईपीपीबी का मंच सक्षम बनाता है

नकद रहित
पेपर रहित
उपस्थिति रहित
ऑनबोर्डिंग/लेन-देन

आईपीपीबी सेवा सुपुर्दगी संरचना
सर्वव्यापी एवं सरल मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित

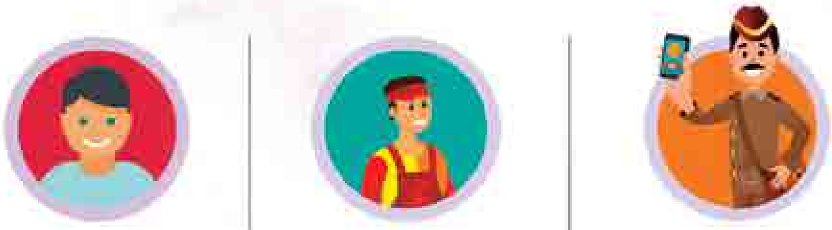

ग्राहक | व्यापारी | जीडीएस/डाकिये

वित्तीय साक्षरता

पारम्परिक बैंकिंग:
वित्तीय निरक्षरता

क्या वित्तीय साक्षरता एक कल्पना है?

मुझे अपने व्यवसाय के लिए कौन ऋण देगा?

क्या मैं जिन्हें आवश्यकता है, धन अन्तरित कर सकता हूं?

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता है।
- स्मार्टफोन होने पर भी उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि इसके द्वारा बैंकिंग कैसे की जाती है।
- अनेक लोग बैंक से घबराते हैं तथा उनसे सम्पर्क करने में संकोच करते हैं।
- अनेक लोगों को अपनी बचत राशि पर ब्याज अर्जित करने के लाभों के बारे में ज्ञान नहीं होता है।

आईपीपीबी बैंकिंग:
परिवर्धित वित्तीय साक्षरता

डोरस्टेप बैंकिंग

बहुभाषिक सहायता

क्यूआर कार्ड

पेपर रहित बैंकिंग

तत्काल खाता खोलने की सुविधा

सहायक यूपीआई

ग्राहकों को शिक्षित करना कि कैसे बीमा अरक्षितों को सुरक्षित करता है, कैसे धन से धन बढ़ता है तथा थोड़ी सी बचत भी बेहतर भविष्य बनाने में अत्यधिक सहायक हो सकती है।

- लोग स्मार्टफोन के बिना भी स्मार्ट तरीके से आईपीपीबी के साथ बैंकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए डाकिया को धन्यवाद।
- भरोसेमंद डाकिया कम बैंक सुविधा वालों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है।
- डाकघर अत्यधिक सुगम है, क्योंकि ग्रामीण नागरिक उनसे बहुत पहले से ही परिचित हैं।

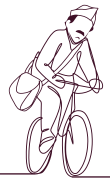

उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक समूह

- बचत बैंक/चालू खाता
- धन अंतरण सेवाएं
  - सहायक यूपीआई
  - आईएमपीएस
  - एनईएफटी/आरटीजीएस
  - सीटीएस
- रूपे आभासी कार्ड
- बिल भुगतान (बीबीपीएस)

अंतर-परिचालित धन अंतरण सेवाएं - एईपीएस

- माइक्रो एटीएम
- सीबीएस

- सामाजिक लाभ वितरण
- लाभार्थी नामांकन एवं खाता खोलने की सेवाएं
- भुगतान हेतु तैयार समाधान
  - पीएफएमएस
  - एबीपीएस
  - एनएसीएच

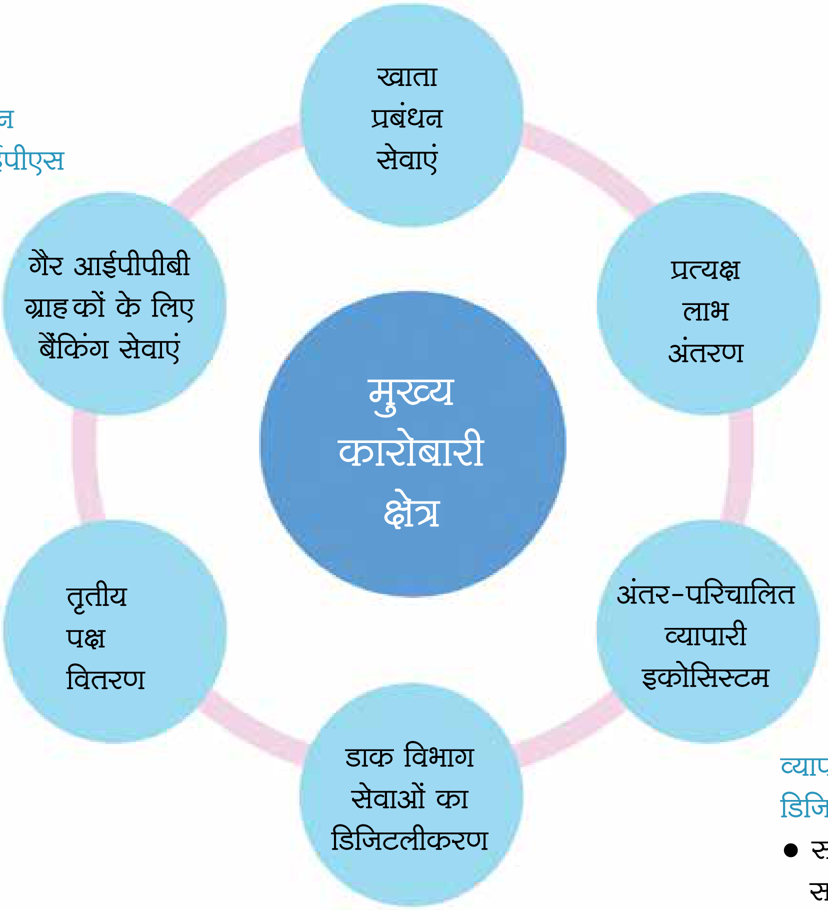

तृतीय पक्ष उत्पादों का वितरण

- जीवन बीमा
- ऋण

व्यापारी की दुकानों पर डिजिटल भुगतान

- सहायक यूपीआई द्वारा समर्थित अंतर-परिचालित स्वीकृति

डाक विभाग के काउंटरों पर भारतीय डाक उत्पादों के लिए डिजिटल भुगतान

- डाकघर पोस्टल सेवा योजनाओं (पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, आवर्ती जमा पर ऋण) को आईपीपीबी ग्राहकों के लिए क्लोज्ड लूप भुगतान

ग्राहक खंड

वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

बढ़ते कदम

650
आईपीपीबी शाखाओं की संख्या

136078
बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स

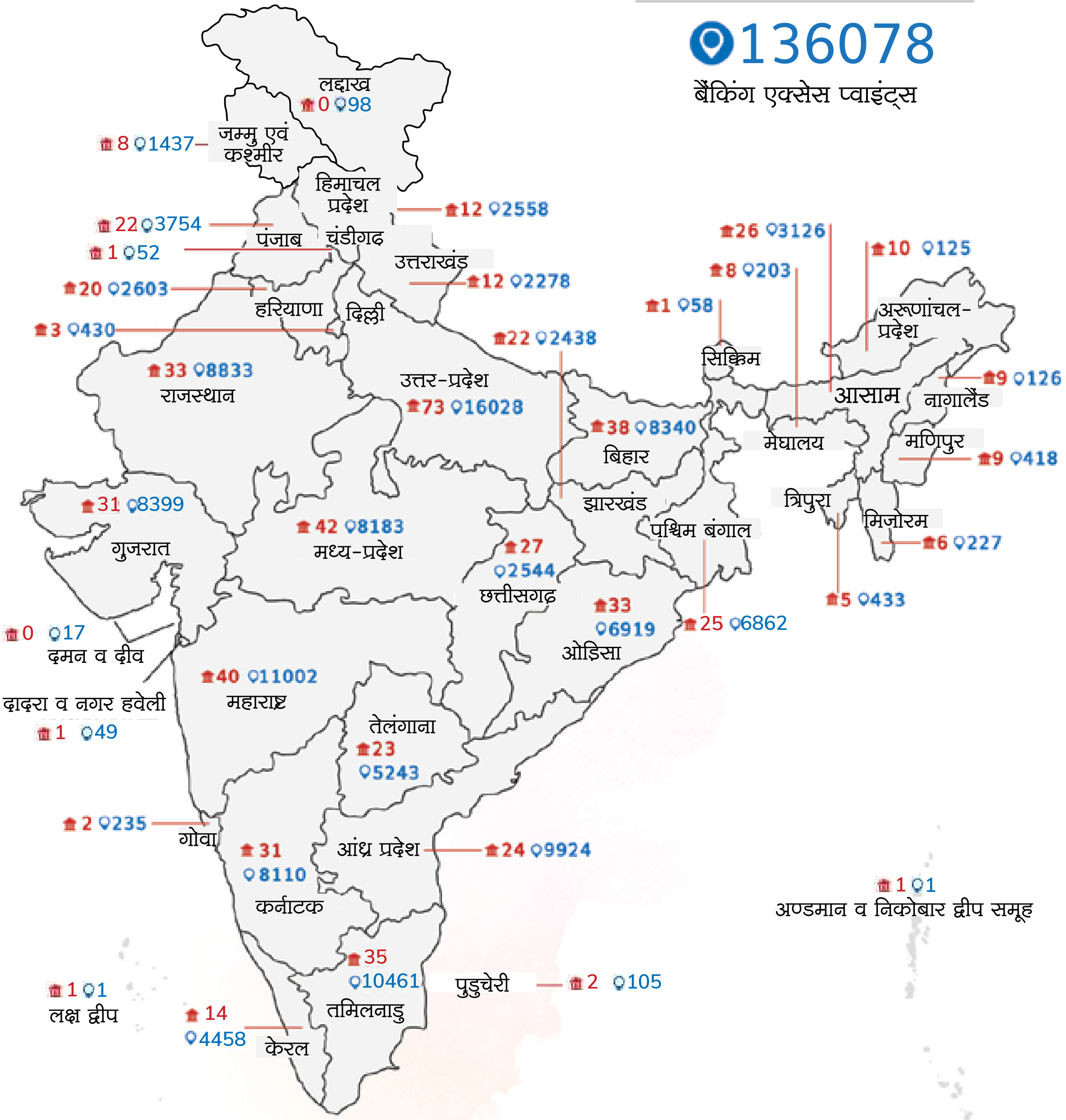

स्रोत: https://www.mea.gov.in/india-at-glance.htm

मुख्य कारोबारी उपलब्धियां

(31 मार्च, 2019 को)

ग्राहकों की संख्या
2.36 करोड़

कुल जमा राशियां
855 करोड़

डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाता
136,000+ से अधिक

बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स
174,000+ से अधिक

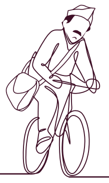

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.81 करोड़ ग्राहक जोड़े

56.26 लाख बिल के भुगतान संव्यवहारों पर कार्यवाही की गई

99% आईपीपीबी खातों को आधार संख्या से अद्यतन किया गया, 28% आधार को डीबीटी जमाओं को प्राप्त करने के लिए रखा गया

बजाज एलाइंज जीवन बीमा कं लि. की साझेदारी से 5.43 करोड़ रुपये जीवन बीमा प्रीमियम एकत्रित किया गया

मांग जमाराशियां पिछले वित्तीय के 94 करोड़ रुपये से बढकर 855 करोड़ रुपये हो गई

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सतत वृद्धि से संव्यवहारों की संख्या 5.50 करोड़

13.17 लाख आईपीपीबी खातों को डाक घर बचत खातों (पीओएसए) से संबद्ध कर अंत:परिचालन बैंकिंग योग्य बनाया गया

25.43 लाख एईपीएस संव्यवहारों पर कार्यवाही की गई

32.6 लाख आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप डाउनलोड किए गए

नाबार्ड और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के साथ भागीदारी में पूरे भारत में लगभग 6000 वित्तीय साक्षरता कैम्प आयोजित किये गये

कार्यात्मक उपलब्धियां

मानव संसाधन

मानव संसाधन कार्य विजन

"निरंतर सीखने, सीखे हुए को भूलने और फिर से सीखने के द्वारा वह कार्य करना जो संगठन और कर्मचारियों की संवृद्धि की आवश्यकता को सबसे बेहतर समझे और संतुष्ट करे."

पी 3 - अच्छे से महान की ओर यात्रा - आईपीपीबी में व्यक्ति, प्रक्रिया एवं निष्पादन, मानव संसाधन कार्य के तीन स्तम्भ हैं.

- व्यक्ति : स्वयं, टीम एवं ग्राहकों को विकसित करना
- प्रक्रिया : परिवर्तनशील, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (वीयूसीए) दुनिया में एक चुस्त संगठन का सृजन करना
- निष्पादन : कार्य- निष्पादन और योग्यता आधारित संस्कृति का निर्माण

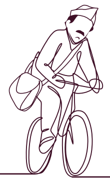

2019-20 के दौरानमानव संसाधन के विभिन्न विभागों की उपलब्धियां:

ए) प्रतिभाशाली स्टाफिंग:

- कारपोरेट कार्यालय व मंडल कार्यालयों में 61 कर्मचारियों को (जिसमें नियमित, संविदात्मक कर्मचारी और सलाहकार शामिल हैं) विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर लाया गया.
- भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रतिभाशाली स्टाफिंग के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूर्ण संगठनात्मक टेलेंट रोस्टर तैयार किया गया है.

बी) पुरस्कार व मान्यता:

असाधारण कार्य प्रतिबद्धता,कर्तव्य से अधिक आगे बढक़र कार्य करने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने की मांग करती है. ऐसे कर्मचारियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए निम्न पहलें की गई हैं :

- अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने पर कर्मचारियों को मान्यता देने के लिए कारपोरेट श्रेष्ठता एवार्ड (सीईए) प्रारम्भ .
- अधिकारियों को संगठन के विकास में उनके योगदान के अनुरूप पर्याप्त अवसर, प्रोत्साहन व कैरियर वृद्धि उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड ने बैंक के अधिकारियों के लिए आईपीपीबी की पदोन्नति नीति का अनुमोदन किया है.
- आईबीए के कठिन और अगम्य क्षेत्रों में पदस्थापितों के मनोबल को बढाने के दिशा निर्देशों के अनुरूप, पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के लिए बोर्ड ने प्रोजेक्ट एरिया पहाड. व ईंधन जैसे भत्तो से संबंधित नीति का अनुमोदन किया था.

सी) निष्पादन प्रबंधन :

व्यक्तिगत और संगठनातमक लक्ष्यों को संबद्ध करने और कर्मचारियों के मनोबल को बढाने के लिए बोर्ड ने कर्मचारियों के निष्पादन और उत्पादकता को केन्द्र में रखते हुए प्रतिभा की संस्कृति का निर्माण करने और श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वालों को वार्षिक परिवर्तनशील प्रोत्साहन देने के लिए निष्पादन प्रबंधन प्रणाली नीति का अनुमोदन किया हैं.

डी) नेतृत्व विकास :

आईपीपीबी के द्वारा भारत के रूपांतरण,आईपीपीबी एवं डाक विभाग के उच्चतम नेतृत्व से लेकर अन्तिम छोर के कर्मचारी तक प्रमुख बदलाव के लिए एमडी वसीईओ के साथ रूपांतरण बदलाव प्रबंधन परियोजना की अवधारणा विकसित की गई. यह परियोजना दोनों संगठनों के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों के रूपांतरण की परिकल्पना करती हैं.

ई) शिक्षण व विकास :

वरिष्ठ प्रबंधन व व्यवसाय प्रमुखों के साथ विचार विमर्श से आवश्यकताओं का निर्धारण करके प्रशिक्षण योजनाएँ तैयार की गई.

- एनआईबीएम (पुणे), आईडीआरबीटी (हैदराबाद), सीएबी–आरबीआई, आईआरएमए, एमडीआई (गुडग़ांव) जैसे संस्थानों से तकनीकी व व्यवहारिक कुशलता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक रुप से आयोजित किए गए.

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठितअग्रिम शिक्षणमान्यता(आरपीएल) योजना डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक कहलाने वाले संविदात्मक कर्मचारियों,के लिए प्रारम्भ की गई. इस पहल के भाग के रुप में पात्र ग्रामीण डाक सेवकों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी),द्वारा प्रमाणीकृत किया गया. इस मुकाबले में 11,000 अन्तिम उपयोगकर्ता पात्र हुए हैं और 9,162 उपयोगकर्ताओं ने प्रशिक्षण पूरा किया, प्रमाणन पास कियाऔर प्रमाणन पास करने की तारीख से 500/- रुपये के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, 3 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा व एनएसडीसी के सह-ब्राडेंड प्रमाणपत्र के पात्र बन गए.

Skill India

PMKVY

Certificate

This is to certify that

Mr. Mo Aslam (Aadhaar Number -XXXXXXXX0802)

Has successfully cleared the assessment for the Job role of

Business Correspondent & Business Facilitator (QP No: BSC/Q8401)

conforming to National Skills Qualification Framework Level - 4

With Grade B

BFSI

एफ) संगठनात्मक प्रभावशीलता :

डाक विभाग व आईपीपीबी समकक्षों के मध्य विभिन्न कार्यक्रमों जैसे योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का देश भर में सभी आईपीपीबी और डाक विभाग स्थलों पर आयोजन करके एक अनौपचारिक संबंध की संस्कृति का निर्माण करने के लिए एक संरचनात्मक वार्षिक सूची का लोकार्पण किया गया.

जी) कर्मचारी संबंध: किसी भी संगठन के लिए, मानव संपदा सबसे महत्वपूर्ण आस्ति है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है. आईपीपीबी में कर्मचारियों को अभिप्रेरित रखने के लिए हम लगातार नये-नये तरीकों की तलाश करके उन्हें लागू करते रहते हैं.

- बोर्ड ने दिवंगत अधिकारी के संतप्त परिवार के लिए अनुकम्पा आधार पर वित्तीय सहायता के रुप में एक बार 10 लाख रुपये के अनुग्रह भुगतान का अनुमोदन किया है.

- कर्मचारी संबद्धता :
  - बैंक परिचालनों की शुरुआत के बाद बैंक की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 1-8 सितम्बर, 2019 तक वित्तीय समावेशन सप्ताह का आयोजन किया गया. इसका आयोजन आईपीपीबी की 650 शाखाओं में किया गया जिसमें संलग्न चार्ट में दर्शाई गई विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं.

  - हमारे कर्मचारियों और बैंकिंग संवाददाताओं को नवीनतम गतिविधियों,बैंकिंग और भुगतान उद्योग के बारे में शिक्षित करने और अद्यतन जानकारी देने के साथ-साथ आईपीपीबी और डाक विभाग समाचार तथा लागू की जा रही बेहतर कार्यप्रणलियों के बारे में बताने के लिए साप्ताहिक समाचार पत्र 'मंडे मॉर्निंग मोर' की शुरुआत की गई.

एच) एच आर प्रौद्योगिकी: मानव संसाधन की प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने का लक्ष्य प्रबंधकों को शीघ्र और प्रभावी तरीके से काम करने में सहायता देना है. स्वचालित व्यवसाय प्रक्रियाएं प्रशासनिक कार्यों को काफी हद तक कम कर देती हैं और प्रबंधकों को अपना समय और ऊर्जा, अपने कार्यदल के प्रबंधन पर केन्द्रित करने देती हैं. वित्तीय वर्ष **2019- 20** में आईपीपीबी ने

- एच आर सूचना को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए ओरेकल एचआरएमएस, से कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) और प्रबंधक स्वयं सेवा (एमएसएस) दोनों की सफलतापूर्वक शुरुआत की
- आई-एक्स्पेंस मॉड्यूल को फरवरी 2020 में कर्मचारियों के पुनर्भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल करने व कागज रहित बनाने व ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए प्रारम्भ किया गया.

आई) एच आर कर्मचारी सेवा : कोर एचआर :

- एच आर की गतिविधियों को सुचारु रुप से चलाने और कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए सभी 650 शाखाओं तथा दिल्ली व मुंबई के कॉरपोरेट कार्यालय सहित पाँच अंचलों में बांटा गया है.
- कर्मचारी अनुकूल कल्याणकारी नीतियों का समय पर नवीकरण किया गया ताकि बैंक के अधिकारी बैंक द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधा का निर्विघ्न लाभ ले सकें. इन नीतियों में निम्न भी शामिल हैं
  - i. जीवन बीमा
  - ii. मेडीक्लेम
  - iii. ग्रेच्यूटी
  - iv. दुर्घटना बीमा

सभी कर्मचारियों को अपने स्थानान्तरण अनुरोध के मामलों को प्रस्तुत करने के समान अवसर देने के लिए बोर्ड द्वारा स्थानान्तरण नीति अनुमोदित की गई.

विपणन

उद्देश्य

1. आईपीपीबी की ब्रांड श्रेष्ठता का निर्माण
2. आईपीपीबी को भुगतान बैंक के रुप में और इसकी सेवाओं व उत्पाद से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए आम जनता को मूलभूत बैंकिंग व वित्तीय शिक्षा प्रदान करना.

महत्वपूर्ण विचार

1. सरकार की महत्वपूर्ण पहलों से सामंजस्य द्वारा उनका सहयोग प्राप्त करना
2. विपणन व सम्प्रेषण कार्य- योजना के कार्यान्वयन के दौरान डाक-विभाग की विरासत और मजबूतियों को उभारना
3. आईपीपीबी द्वारा दिए गए विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर ध्यान केन्द्रित करना
4. विपणन निवेश सचेत दृष्टिकोण पर प्रतिफल
5. एकीकृत एटीएल, बीटीएल और अंकीय पहुंच पद्धतियां
6. आईपीपीबी के प्रचार के लिए डाक विभाग की ग्राहकोन्मुख आस्तियों का उपयोग
7. सम्प्रेषण के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करना

प्रमुख ध्यानाकर्षण क्षेत्र

1. सम्प्रेषण के सभी माध्यमों द्वारा ब्रांड का व्यापक प्रचार
2. **ग्राहक अधिग्रहण** के लिए विपणन अभियानों पर ध्यान केन्द्रित करना
3. **उत्पाद विपणन** अभियान
4. डाक विभाग, नाबार्ड,कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, तृतीय पक्ष साझेदारों आदि के साथ मिलकर विपणन सामग्री, कार्यक्रमों और विभिन्न अन्य विशेषताओं की सह - ब्रांडिंग और संयुक्त विपणन

5. **प्रमुख उपलब्धियां :**
6. **1. बिक्री अभियान**

अभियान	कौन बनेगा बाहुबली	आज का बादशाह	प्रोजेक्ट अभिमान
अवधि	**क्यू १**	**क्यू २**	**क्यू २**
उद्देश्य	एनएसडीसी के अंतर्गत आर व आर मुकाबले के द्वारा बैंकर के रुप में जीडीएस के पूर्व शिक्षण को मान्यता देना	भारत सरकार की 100 दिन योजना के अंतर्गत : 1 करोड. खाता तक पहुंचने का अभियान	भारत सरकार की 100 दिन योजना के अंतर्गत : डिजिटल रुप से सक्षम 1300 गाँवों का सृजन, प्रत्येक जिले में एक
विशेषक	1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति 2. मूल्यांकन परीक्षा पास करना 3. 20 पीओएसए संबद्ध खातों को खोलना 4 न्यूनतम 1000 रुपये का डिजिटल लेन देन	1 प्रत्येक एक लाख व अधिकतम निधियन खाता कीर्तिमान 2. अधिकतम निधियन खाते सहित शीर्ष 10 अन्तिम उपयोगकर्ता 3. पहले एक करोड.खातों का कीर्तिमान	1. 100 % परशाखा। मंडल 2. सर्वाधिक उच्च उपलब्धि वाला मंडल
लाभभोगी	1. शीर्ष 10 जीडीएस 2. शीर्ष 5 शाखाएं 3. शीर्ष 3 मंडल	डाक विभाग अंतिम उपयोगकर्ता	आईबीपीपी व डाक विभाग के फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी
सम्मान	1. एनएसडी से प्रमाणपत्र 2. सचिव डाक द्वारा सम्मान	1. वार्षिक समारोह में विजेताओं का सम्मान 2. विजेताओं के नामों की मीडिया में घोषणा	1. वार्षिक समारोह में एमओसी द्वारा शीर्ष मंडल का सम्मान 2. विजेताओं के नामों की मीडिया में घोषणा

2. **नाबार्ड द्वारा समर्थित वित्तीय समावेशन कैम्प**

3. **लाइवपहुंच बिन्दुओं पर एईपीएस की ब्रांडिंग**

उभरा हुआ(लॉलीपॉप) संकेतक

पीछे **आगे**

बैनर

पोस्टर

4. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के साथ निवेशक जागरूकता अभियान

5. बीबीपीएस राष्ट्रीय अभियान के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ संबद्धता

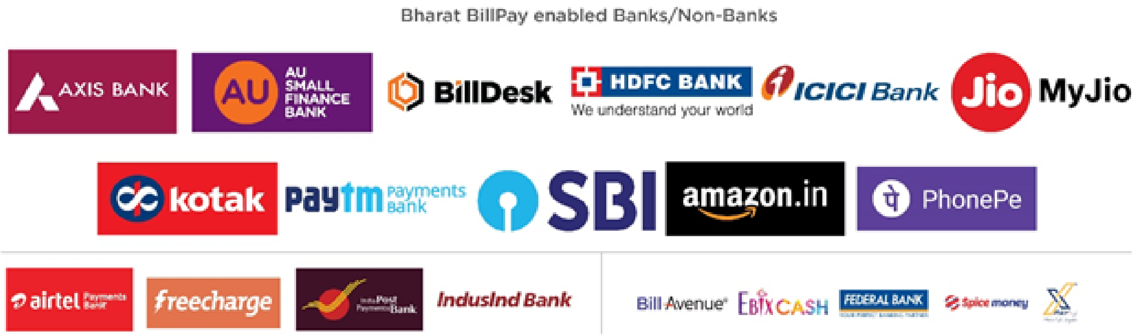

6. सामाजिक मीडिया प्रचार

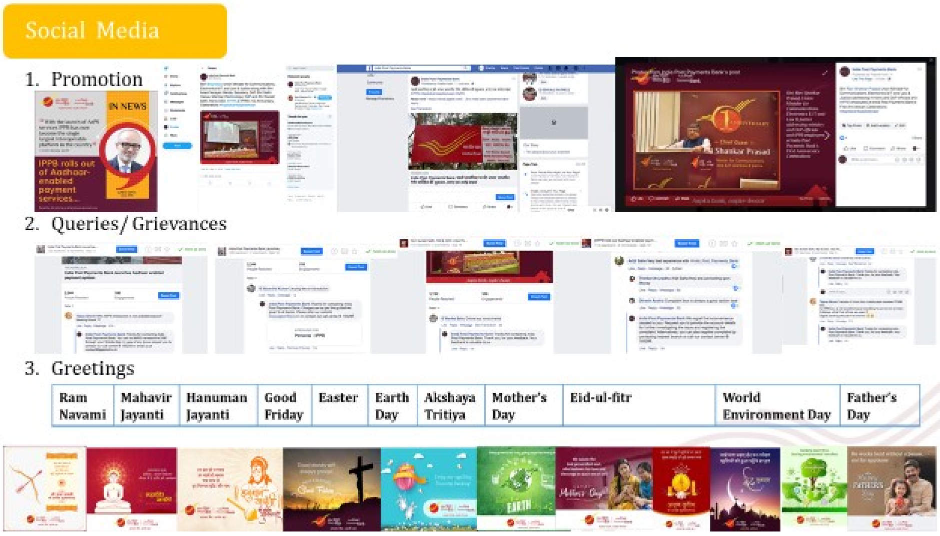

व्यवसाय विकास - उद्यम एवं सरकार (बीडीईजी)

आईपीपीबी जनता का बैंकर बनने के लिए भुगतान बैंक के रुप में रणनीतिक रुप में स्थापित है. भारत सरकार ने वित्तीय 2019-20 में 3.5 लाख करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रुप में वितरित किया है और आईपीपीबी डीबीटी लाभार्थियों के पसंदीदा बैंक के रुप में स्वयं को रखने का इरादा रखता है. अपनी व्यापक पहुंच और प्रशिक्षित मानव शक्ति के द्वारा, आईपीपीबी सरकार और विभिन्न उद्यमों के साथ, उनकी भुगतान और वसूली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है.

वित्तीय वर्ष 19- 20 के लिए व्यवसाय निष्पादन : गंतव्य बैंक के रुप में डीबीटी आवक

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रारम्भ से 31 मार्च, 2019 तक	वित्तीय वर्ष 2019-20 अप्रैल 1, 2019 - मार्च 31, 2020	% वृद्धि
जमा की गई डीबीटी की राशि	126,560,708	4,776,531,831	3,774%
डीबीटी जमाओं की संख्या	218,055	3,800,032	1,743%

- आईपीपीबी ने एनएसीएच / एबीपीएस अस्वीकृतियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1% से कम करने के लिए प्रभावी रुप में प्रणाली बनाए रखी है.
- 23 लाख से अधिक लाभार्थियों ने वित्तीय वर्ष 19-20 में आईपीपीबी के अपने खातों में अपने अनुदान प्राप्त किए, जो 2,200% से अधिक की वृद्धि है.

उपलब्धियाँ

- आईपीपीबी ने केन्द्रीय मंत्रालयों के सभी सचिवों और राज्य सरकारों के प्रमुख सचिवों से सक्रिय संपर्क किया और कई विभागों और राज्य सरकारों से संयुक्त रुप में 1 करोड़ से अधिक सम्भावित खातों का अधिदेश प्राप्त करने में सफल हुआ.
- आईपीपीबी ने 24 जुलाई,2019 को अपना पहला एम ओयू सरकारी मंत्रालय,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय टीबी विभाग के साथ उन टीबी रोगियों को बैंक से संबद्ध करने के लिए किया जिनका कोई बैंक खाता नहीं है.
- लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग के साथ खादी शिल्पकारों को बैंकिंग प्रदान करने और शिल्पकारों को भुगतान सरल एवं कारगर बनाने के लिए एमओयू किया.
- आईपीपीबी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि मुआवजे. के लाभार्थियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है.
- बीडीईजी ने राज्य और जिला स्तर परअधिक डीबीटी आधार वाले प्रमुख सरकारी विभागों जैसे ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, शिक्षा आदि से भी संपर्क किया है और लाभार्थियों के खाते खोलने

के अधिदेश प्राप्त करने में सफल हुआ. आईपीपीबी ने नरेगा एनएसएपी, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ आदि जैसी योजनाओं के लाभार्थियों के सफलतापूर्वक खाते खोले.

- बीडीईजी ने डेयरी क्षेत्र में अमूल, आविन, साँची डेयरी आदि जैसे संगठनों के साथ कुछ उद्यम समझौते भी किए हैं .

प्रमुख रणनीतिक पहलें

बीडीईजी वित्तीय समावेशन परिदृश्य में एक परिवर्तन ला रहा हैं और विभिन्न नागरिक सुविधाओं के लिए एकल समाधान केन्द्र भी होना चाहता हैं. आईपीपीबी नागरिकों को निकटतम डाक घर और नागरिकों के द्वार पर भी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार और कारपोरेट हितधारकों के साथ मिल कर लोकोन्मुख पहलें कर रहा हैं.

- **नीति आयोग**-आईपीपीबी चैनल के सक्रिय उपयोग से आकांक्षापूर्णजिलों में वित्तीय समावेशन करना; वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) और माइक्रो सेव, एक परामर्श कारी फर्म, के साथ जारी परियोजना में सुधार करना.

- **सामाजिक प्रभाव हब** : वित्तीय / गैर वित्तीय सेवाओं की पहचान करना जो आईपीपीबी की राष्ट्रीय मूलभूत संरचना के माध्यम से दी जा सकें जिसके परिणामस्वरूप आईपीपीबी के लिए राजस्व में वृद्धि हो और अधिक सामाजिक प्रभाव का भी सृजन हो.

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

ग्राहक सेवा

आईपीपीबी का यह मानना है कि तुरंत और प्रभावी सेवा प्रदान करना न केवल नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है बल्कि विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. इसलिए, ग्राहक सेवा ओर संतुष्टि बैंक के प्रमुख महत्वपूर्ण सरोकार क्षेत्र हैं. बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित ओर प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास करेगा. हालांकि, बैंक का यह भी मानना है कि ग्राहक परिवाद / शिकायतें किसी भी कारपोरेट इकाई के लिए व्यवसाय का एक सघन भाग हैं. इसलिए ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार सभी परिवादों/ शिकायतों का समय पर समाधान करने के उद्देश्य से बैंक की 'ग्राहक संरक्षा और परिवाद निवारण नीति' बनाई गई है और इसे बैंक की वेबसाइट और सभी पहुंच बिंदुओं पर प्रकाशित किया गया है.

- आईपीपीबी के ग्राहक किसी भी संपर्क बिन्दु जैसे पहुंच बिंदु (डाक घर), आईपीपीबी शाखा, संपर्क केन्द्र, ई-मेल,मोबाइल बैंकिंग एप अथवा आईपीपीबी की किसी भी शाखा पर पत्र भेजकर शिकायत दर्ज करवाने के लिए अधिकृत हैं. उपरोक्त किसी भी चैनल से संप्रेषण प्राप्त होने पर, ग्राहक को तुरंत शिकायत की पावती दी जाती है
- बैंक ने नोएडा और चेन्नै में 24 x 7 X 365 संपर्क केन्द्र भी स्थापित किए हैं जो आई वी आर के माध्यम से 13 भाषाओं में सेवाएं, हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 8 क्षेत्रीय भाषाओं में आने / जाने वाले कॉल्स तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में ई मेल सेवाएं प्रदान करते हैं.
- बैंक ने विभिन्न परिवादों के निवारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2019 में आन्तरिक लोकपाल की नियुक्ति की.
- बैंक अधिकतम आबादी तक, विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पहुंचने के लिए ग्राहकों को द्वार पर सेवाएं भी उपलब्ध कराता है. यह ग्राहकों को बकाया शेष पूछताछ, और संक्षिप्त विवरण के लिए मिस्ड काल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है.
- कुल 74321 शिकायतों (अर्थात 1 अप्रैल,2019 को बकाया 1,352 शिकायतें और वित्तीय वर्ष '19 के दौरान प्राप्त 72969 शिकायतें) में से 31 मार्च, 2020 तक 73,731 शिकायतों का निपटान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप किया गया.

वर्ष 2018-19 व 2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतें

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	**9**	**1352**
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	26719	72969
निपटान की गई शिकायतों की संख्या	25376	73731
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	**1352**	**590***

टिप्पणियाँ :

- आज की तारीख तक सभी 590 शिकायतें बंद कर दी गई हैं.
- वर्ष 2018 - 19 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या 7 महीने के आंकडे. दर्शाती हैं क्योंकि बैंक की स्थापना 1 सितम्बर, 2018 को की गई थी.
- यद्यपि समग्र ग्राहक आधार लगभग 4 गुणा बढ.गया हैं, प्राप्त शिकायतों की संख्या में बहुत कम वृद्धि हुई हैं (ग्राहक के अनुपात में शिकायतों की संख्या मार्च '19 के लिए 0.12 % हैं और मार्च, '20 के लिए यह 0.028 % हैं.)
- 85 % शिकायतों का निवारण 7 दिनों में किया गया और शिकायतों के निपटान के लिए औसत टीएटी 4 दिनों से नीचे आ गया हैं.
- ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने के लिए शिकायतों के प्रकार का, पुनर्निर्धारण मॉडूयलों को जोड़ना/हटाना और टीएटी में संशोधन किया गया.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रमुख प्रकार, बिल बनाने वाले की प्रणाली में उतार चढाव के कारण बिल के भुगतानों, निधियन व्यवस्था में आई रुकावटों के कारण स्वीप इन, स्वीप आउट और विनियामक दिशानिर्देशों में कुछ परिवर्तनों के कारण डीओपी भुगतानों से संबंधित शिकायतें और डीओपी के स्तर पर हाथ से किए जाने वाली मिलान प्रक्रिया के कारण और भौगोलिक सीमा निदेशांकों के कारण द्वार पर लिए जाने वाले प्रभारों से संबंधित शिकायतें हैं.

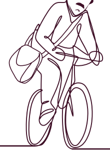

सूचना एवं सायबर सुरक्षा

आईपीपीबी ने ग्राहकों को सर्वोत्तम बैंकिंग समाधान देने के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी अपनाई है. तथापि, अद्यतन प्रौद्योगिकी में सूचना और सायबर सुरक्षा के खतरे भी निहित हैं, इसलिए बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना आस्तियों की सुरक्षा के लिए समुचित जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियां विकसित करें तथा निर्विघ्न व सतत बैंकिंग परिचालनों के लिए संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की मजबूती सुनिश्चित करें.

आईपीपीबी में लगाए गए सूचना सुरक्षा नियंत्रणों का उद्देश्य महत्वपूर्ण मूलभूत संरचनाओं की संरक्षा करना और सायबर खतरों को रोकने और प्रतिक्रिया की क्षमता का निर्माण करना, अति असंवेदनशीलता को कम करना और विभिन्न सुरक्षा / सायबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना है. 2018 में, बैंक की शुरुआत से ही यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान केन्द्रित किया गया कि बैंक की सूचना और सायबर सुरक्षा प्रक्रियाएं उद्योग मानकों के समकक्ष हो .

सायबर सुरक्षा

आईपीपीबी में, बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए सूचना सुरक्षा तंत्र के केन्द्र में गोपनीयता, सत्यनिष्ठ और उपलब्धता तीनों हैं. ग्राहक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक सायबर सुरक्षा समाधानों को कार्यान्वित करते हुए ' गहन - सुरक्षा ' दृष्टिकोण का पालन करता है. यह दृष्टिकोण ऐसे साधनों और तकनीकों, जो एक दूसरे के पूरक और संवर्धक हैं, का संयोजन कर एक बहु स्तरीय सुरक्षा तंत्र के प्रयोग से बैंक को अपने आँकडों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है.

बैंक ग्राहक तत्वों जैसे फिशिंग से संरक्षा, अनुकूलित प्रमाणीकरण, जागरूकता पहलों और सबसे अधिक ग्राहकों के हाथ में सहज उपयोग संरक्षा और जोखिम विन्यास क्षमता पर भी जोर देता है.

सूचना सुरक्षा और सायबर जोखिम प्रबंधन

आईपीपीबी की संगठनात्मक व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था / आधारभूत संरचना की निगरानी के लिए और सुरक्षा वारदात प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वयन के लिए, एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की भूमिका का सृजन किया गया है.

बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सायबर सुरक्षा व सूचना सुरक्षा नीति भी है जो विभिन्न सुरक्षा संबंधित पहलों पर दिशानिर्देश प्रदान करती है. सायबर खतरों को कम करने के लिए रणनीति, निर्देशन और पूर्व योजना प्रदान करने के लिए बैंक में सायबर आपदा प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) भी है. सायबर सुरक्षा अधिशासन बैंक के सूचना सुरक्षा तंत्र का एक भाग है.

बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों को शामिल करके औपचारिक विचारार्थ एक परिचालन समिति बनाई गई है जो सूचना सुरक्षा समिति के नाम से जानी जाती है. सीआईएसओ इस समिति का सदस्य सचिव है . यह समिति बैंक के प्रबंधन के सायबर सुरक्षा लक्ष्यों और निर्देशों के समग्र निर्देशन के लिए प्रभावी और मार्गदर्शक संचार चैनल के रुप में कार्य करती है. यह समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अभिनिर्धारित जोखिमों का प्रबंधन बैंक की जोखिम क्षमता के अनुसार किया जाता है, सूचना सुरक्षा, सायबर सुरक्षा नीतियों, मानकों, और प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन और विकास की निगरानी, सरलीकरण और कार्यान्वयन का कार्य भी करती है.

प्रमुख क्षेत्र

- आईपीपीबी ने सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ समन्वयन कर यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) द्वारा निरंतर 24 X 7 निगरानी की जाती है और यह नवीनत्म उभरते सायबर खतरों के स्वरूप पर नियमित रुप से

अद्यतन रखता है .

- बैंक सुरक्षा वारदातों अथवा संदर्भों को वास्तविक समय में आई टी परिवेश में पहचानने, निगरानी करने, रिकार्ड करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया के लिए सायबर वारदात और घटना प्रबंधन निगरानी साधन प्रयोग कर रहा है.
- किसी भी प्रकार के सायबर हमले का प्रबंध करने हेतु, बैंक ने उच्च सुरक्षा समाधान रखे हैंऔर विभिन्न दुर्भावनापूर्ण हमलों का सामना करने के लिए व उन्नत निरंतर खतरा विरोधी समाधान, सर्वर संरक्षा समाधान, नेटवर्क संरक्षा समाधान आदि कार्यान्वित किए हैं.
- आई टी प्रणालियों में संवेदनशीलताएं, यदि कोई हों, का आकलन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन संवदेनाशीलताओं में कमी की गई है और जोखिमों का प्रबंधन किया गया है, प्रत्येक तिमाही में एक संवेदनशीलता आकलन अभ्यास किया जाता है.
- सायबर सुरक्षा खतरे के बदलते परिदृश्य के आधार पर, बैंक ने एक सायबर-बीमा पॉलिसी ली है जिसकी हर वर्ष संवीक्षा तथा नवीकरण किया जाता है और नए जोखिम क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, यदि आवश्यक समझा जाए. बैंक अपने सुरक्षा तंत्रों को निरंतर परिष्कृत करने के लिए सायबर सुरक्षा अभ्यास करता है और उनमें भाग लेता है .
- कर्मचारियों को नवीनतम सुरक्षा खतरों और सर्वोतम सुरक्षा पद्धतियों के विषय में अद्यतन रखा जाता है. बैक अपने कर्मचारियों ग्राहकों की विभिन्न चैनलों जैसे एसएमएस/ ई मेल/ शिक्षा पोर्टल वेबसाइट आदि के माध्यम से निरंतर आधार पर सायबर सुरक्षा जागरूकता प्रदान करता है.
- आईपीपीबी के पास आपदा से उबरने का सुव्यवस्थित ढांचा है जिसे आवधिक रुप से आपदा से उबरने के अभ्यासों के द्वारा निरंतर बनाए रखा जाता है. साथ ही नए आवेदनों को लेते समय कडे. नियंत्रणों को पालन किया जाता है.
- सीआईएसओ कार्यालय और सिस्टम इंटीग्रेटर जोखिम प्रबंधन में एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए परस्पर समुचित कामकाजी संपर्क रखते हैं. बैंक नियमित रुप से विशिष्ट विषयगत कार्यभारों के माध्यम से आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षकों के द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए व विनियाम कों द्वारा सुरक्षा दृष्किोण की जांच और नियंत्रणों को निरंतर सुदृढ.करने के लिए कई तरह के आकलनों से गुजरता है.

परिचालन

आईपीपीबी के पास बाधाओं को दूर कर के और बैंकिंग सेवाएं पाने की लागत को घटा कर वित्तीय समावेशन का नेतृत्व करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय संरचना है. परिचालन विभाग सभी आन्तरिक विभागों से समन्वय के द्वारा इस लक्ष्य में प्रमुख भूमिका निभाता है और इसके व्यवसाय परिचालनों के लिए एक स्तम्भ है. यह आईपीपीबी के अन्तिम छोर बैंकिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायक कार्य कर के आईबीपीपी की शाखाओं और अन्य सभी विभागों के मध्य संचालक के रूप में कार्य करता है. आईपीपीबी के परिचालन विभाग में शाखा परिचालन, ग्राहक सेवा, केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) शामिल हैं जो परिचालनों का अभिन्न भाग हैं. ग्राहकों को, विशेष रुप से बैंकिंग रहित ग्रामीण क्षेत्रों के, सहज बैंकिंग प्रदान करने के लिए शाखाओं को सक्षम और सशक्त बनाते हैं.

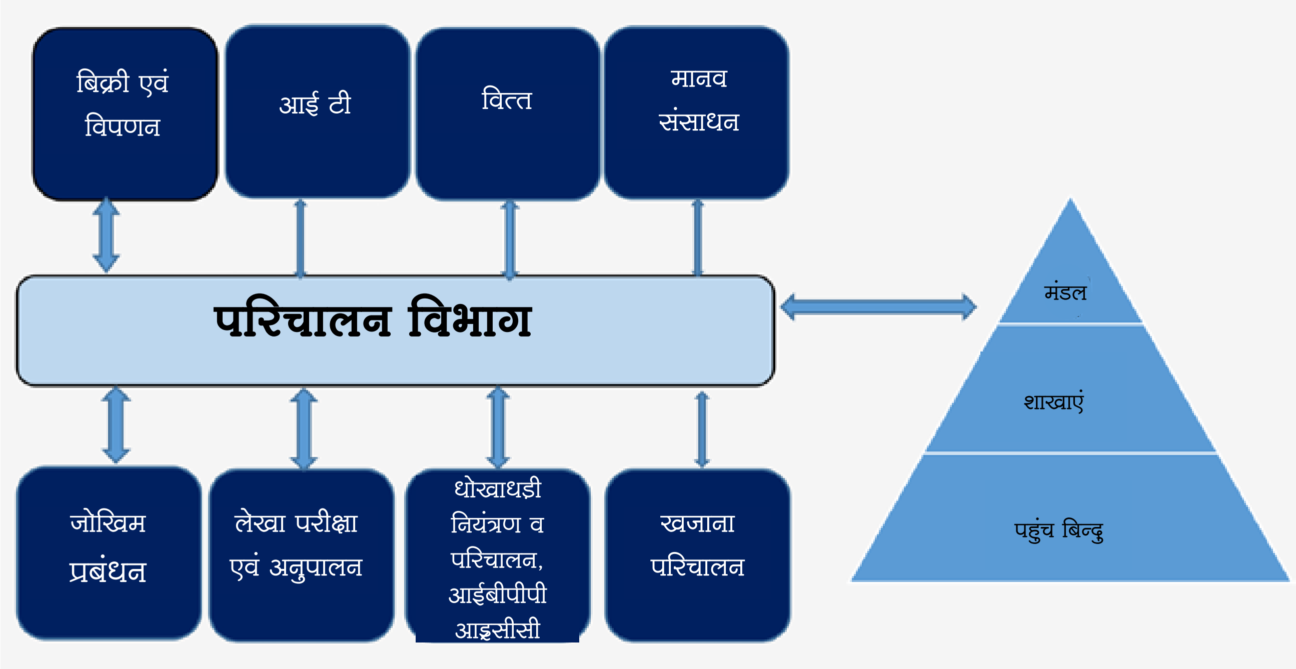

शाखा परिचालन :

आईपीपीबी के 1.34 लाख से अधिक पहुंच बिन्दुओं के नेटवर्क के शाखा परिचालनों को 650 शाखाओं और 23 मंडलों के माध्यम से समन्वित किया जाता है. यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी शाखाएं और पहुंच बिन्दु अधिशासन, अनुपालन, अन्य विनियामक दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करे. परिचालन विभाग शाखाओं / मँडलों को विभिन्न विभागों से समन्वय करके निम्नलिखित परिचालनगत पहलुओं का सुचारु रुप से संचालन और प्रबंध करने के लिए आवश्यक पार्श्व सहयोग, मूलभूत संरचना एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है.

- **अनुपालन**
- **प्रशासक व वित्त**
- **आस्ति प्रबंधन**
- **आई टी**
- **एचआर**
- **आईपीपीबी की कार्यान्वयन योजना के अनुरूप पहुंच बिन्दुओं क्रियान्वयन**
- **सभी अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आईपीपीबी के परिचालनों का 100% सक्रियण सुनिश्चित करना**
- **डाक विभाग - आईपीपीबी समन्वयन**
- **प्रक्रिया नियंत्रण तथा सभी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के लिए एस ओ पी**

केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र

केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) दिल्ली में स्थित एक नियंत्रण कार्य है और निपटान एवं मिलान, सभी भुगतान उत्पादों, स्वीप तथा डाक विभाग उत्पादों और बैंक द्वारा दिए गए तृतीय पक्षीय उत्पादों के नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी है. सीपीसी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान कार्यों जैसे एनईएफटी के निपटान एवं मिलान में सहयोग देने के लिए सभी अवकाशों सहित 24 X 7 कार्य करता है.

कीर्तिमान व उपलब्धियां - वित्तीय वर्ष 2019-20

27 मई, 2019 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में आईपीपीबी का समावेश, अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त

करोड़ ग्राहकों का मुकाम हासिल | **अगस्त 2019**

1 सितम्बर, 2019 | पूर्ण परिचालन का एक साल पूरा

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली की शुरुआत | **9 सितम्बर, 2019**

13 दिसम्बर, 2019 | बजाज एलाइंज जीवन बीमा के साथ जीवन बीमा व्यवसाय समझौता सक्रिय

कासा जमाराशियां 500 करोड़ रुपये के पार | **31 दिसम्बर, 2019**

22 जनवरी, 2020 | आईपीपीबी व निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन

आईपीपीबी का ग्राहक आधार 2 करोड़ के पार | **19 फरवरी, 2020**

24 फरवरी, 2020 — एईपीएस संव्यवहारों का मूल्य 500 करोड़ के पार

कुल संव्यवहारों की संख्या 5 करोड़ के पार — **29 फरवरी, 2020**

29 फरवरी, 2020 — बिल भुगतान संव्यवहारों की संख्या 50 लाख के पार

एईपीएस संव्यवहारों की संख्या 20 लाख के पार — **4 मार्च , 2020**

10 मार्च , 2020 — डीबीटी संव्यवहारों का मूल्य 10 लाख के पार

बिल भुगतान संव्यवहारों का मूल्य 100 करोड़ के पार — **13 मार्च , 2020**

19 मार्च , 2020 — कुल संव्यवहारों का मूल्य 15,000 करोड़ के पार

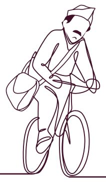

श्री प्रदीप्त कुमार बिसोई
अध्यक्ष, आईपीपीबी

निर्देशक मंडल

श्री पी सतीश
स्वतंत्र निर्देशक

श्री विष्णु आर दुसाद
स्वतंत्र निर्देशक

सुश्री सुषमा नाथ
स्वतंत्र निर्देशक

सुश्री मनीषा सिन्हा
नामित निर्देशक

श्री संजय प्रसाद
नामित निर्देशक

सुश्री अनिन्दिता सिंहारे
नामित निर्देशक

श्री जे वेंकटरमू
एमडी एवं सीईओ

पंजीकृत कार्यालय :
स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, भाई वीर सिंह मार्ग,
नई दिल्ली- 110001
कंपनी सचिव : श्रीमती प्रियंका भटनागर
सांविधिक लेखा परीक्षक : वी के सहगल एंड एसोसियेट्स
साचिविक लेखा परीक्षक : साधना शर्मा एंड एसोसियेट्स

सम्मान व मान्यता

जैसे-जैसे बैंक 2019-20 की यात्रा के दौरान नये कीर्तिमान स्थापित करता गया, कई पुरस्कार व सम्मान आईपीपीबी को प्राप्त हुए हैं.

1. **स्कॉच भुगतान एवार्ड** 2019

   निम्न के लिए स्कॉच आर्डर आफ मेरिट एवार्ड 2019 :

   - सहायक यूपीआई
   - क्यू आर कार्ड
   - आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
   - विभेदित और समावेशी बैंकिंग मॉडल के सृजन के लिए श्री सुरेश सेठी का परिवर्तनकारी नेतृत्व

स्कॉच पेमेन्टस गोल्ड एवार्ड

आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा डीबीटी पर परियोजना

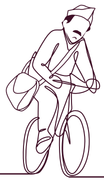

2. **इंडिया बैंकिंग शिखर सम्मेलन एवंसम्मान 2019**

- श्री सुरेश सेठी, एमडी व सीईओ,आईपीपीबी, को वर्ष का सीईओ एवार्ड
- आईपीपीबी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर

3. भारतीय बैंक संघ का 15 वां बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो एवं सम्मान 2020

- भुगतान बैंकों में वर्ष का प्रौद्योगिकी बैंक सम्मान दिया गया.

Indian Banks' Association
banking technology
This is to certify that
India Post Payments Bank Limited
has been adjudged the
WINNER
in the category of the
Technology Bank of the Year
amongst Payments Banks
sas

4. **डन एवं ब्रैड स्ट्रीट बी एफ सी आई शिखर सम्मेलन एवं सम्मान 2020**

- प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम अंगीकरण - भुगतान बैंक का सम्मान मिला

5. फिन्नोविटी सम्मान 2020 का 8वां संस्करण

- अंतःपरिचालित द्वार पर बैंकिंग के लिए फिन्नोविटी सम्मान एवार्ड 2020

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

प्रमुख गतिविधियाँ

1. संचय

संचय- आईपीपीबी मंडल प्रमुखों के लिए कॉरपोरेट ऑफसाइट बैठक 19 जुलाई, 2019 को आयोजित की गई. बैठक की प्रमुख कार्य सूची विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों एवं प्रक्रियाओं पर सावधानी से बनाई गई कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए एक संवहनीय और लाभकारी व्यवसाय मॉडल का निर्माण करने के लिए चर्चा करना और कार्यनीति बनाना था. इस बैठक में श्री सुरेश सेठी, एमडी एवं सीईओ; विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों से वरिष्ठ सीएक्सओ के साथ 23 मंडलों के मंडल प्रमुख उपस्थित थे.

2. प्रथम वर्षगांठ समारोह

अपने परिचालन का प्रथम वर्ष 1 सितम्बर, 2019 को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, बैंक ने अपनी प्रथम वर्षगांठ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में मनाई. इस अवसर पर **माननीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स व आई टी एवं कानून व न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने, श्री अनंत नारायण नंदा,**पूर्व सचिव, डाक विभाग, संचार मंत्रालय तथा श्री सुरेश सेठी, पूर्व एमडी एवं सीईओ,इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ डीओपी के वरिष्ठ मंत्रीगण तथा आईपीपीबी अधिकारियों ने शोभा बढ़ाई. श्री प्रसाद ने वर्षगांठ समारोह में आईपीपीबी द्वारा एईपीएस सेवाओं को प्रारम्भ करने की भी घोषणा की.एईपीएस सेवाओं के प्रारम्भ होने से, आईपीपीबी अब डाक नेटवर्क की अन्तिम छोर तक अभूतपूर्व पहुंच का प्रयोग कर किसी भी बैंक के ग्राहकों को अन्तः परिचालित बैंकिंग सेवाएं देने के लिए देश में अकेला सबसे बडा मंच बन गया है.

3. आरोहण 3.0

आरोहण, डाक विभाग (डीओपी) तथा आईपीपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक नेतृत्व बैठक का तीसरा संस्करण 9 और 10 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया. **माननीय संचार,इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई टी तथा कानून एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने,** श्री संजय शामरावधोत्रे, माननीय मानव संसाधन विकास, संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा अधिकारियों को संबोधन;श्री प्रदीप्त कुमार बिसोई, सचिव,डीओपी; श्री सलीम हक, महानिदेशक, डीओपी; श्री सुरेश सेठी, पूर्व एमडी व सीईओ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, देश भर के सभी 23 मंडलों से मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल सहित वरिष्ठ मंत्री गण, डीओपी और आईपीपीबी अधिकारियों के साथ इस दो दिन की बैठक की शोभा बढ़ाई.

रणनीतिक और परामर्शकारी नेतृत्व बैठक में आईपीपीबी की आगे की राह पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई–लक्ष्य, कार्यनीति और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए चुनौतियों तथा आन्तरिक प्रक्रियाओं को सुदृढ.करना तथा डीओपी एवं आईपीपीबी के मध्य समन्वयन. इस कार्यक्रम में एक संवहनीय और परिणाम आधारित संगठन बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं जैसे 2020-21 के लिए विकास का खाका, तालमेल सृजन और मानसिकता में बदलाव, ग्राहकों तथा आन्तरिक हित धारकों से अंतिम छोर पर संवाद और आधार भूत संरचनाओं को सुदृढ. करने के लिए परस्पर चर्चा हुई.

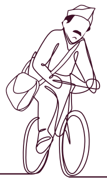

मुख्य मीडिया कवरेज

दैनिक भास्कर
18-May-2019
कटिहार Page 1

निर्णय • 15 जून तक जिले के 250 ग्रामीण डाक सेवक ले सकते हैं भाग

अधिक खाता खोलने वाले ग्रामीण डाक सेवक बनेंगे बाहुबली

ग्रामीण क्षेत्रों के डाकिया बाबू अब बनेंगे बाहुबली

livemint

India Post Payments Bank: QR card without PIN, doorstep banking and unique features

இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி: வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கை 2 கோடியைத் தாண்டியது

ಗ್ರಾಮೀಣದ ಮನಗೆದ್ದ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್

अध्यक्ष का संदेश

श्री. प्रदीप्त कुमार बिसोई

सचिव, डाक विभाग

प्रिय शेयर धारकों,

इंडिया पोस्टर पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के अध्यक्ष के रुप में कार्यभार ग्रहण के बाद अपने पहले संदेश के माध्यम से आपको संबोधित करते हुए मुझे खुशी है.आम आदमी के लिए सुलभ, वहनीय और विश्वसनीय बैंक बनाने के विजन ने उड़ान भर ली है. हम अंतिम छोर पर खड़े डाकिये को वित्तीय सेवा प्रदाता के रुप में सक्षम बनाकर गैर बैंकिंग आबादी की बाधाओं को दूर तथा अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाली आबादी की अवसर लागत को कम कर रहे हैं.

आईपीपीबी की पहुंच और इसका परिचालन प्रारूप इंडिया स्टेक के प्रमुख आधारों - सीबीएस -संबद्ध स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरण के द्वारा ग्राहकों के द्वार पर सहज और सुरक्षित रुप में कागज रहित, नकदी रहित और उपस्थिति रहित बैंकिंग में सक्षम बनाने पर आधारित है.मितव्ययी नवोन्मीषिता का लाभ लेकर और आम जनता के लिए बैंकिंग की सहजता को अधिक केन्द्र में रख कर आईपीपीबी 13 भाषाओं में उपलब्ध अंतर्ज्ञानी इंटरफेस के माध्यम से सहज और वहनीय बैंकिंग समाधान प्रदान करता है.

जनधन अभियान को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार (जीओआई) ने आईपीपीबी के माध्यम से अंतिम छोर तक अंतः परिचालित बैंकिंग नेटवर्क बनाने के लिए रणनीतिक संरचनात्मक निवेश किया है. डाक विभाग (डीओपी) की पहुंच का लाभ उठाकर आईपीपीबी ने जनता की भलाई के लिए अंतः परिचालित बैंकिंग संरचना संभव बना दी है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों की सेवा कर सकती है,इससे ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क की पहुंच लगभग 2.5 गुना बढ. गई है. आधार समर्थित भुगतान सेवाओं (एईपीएस) की शुरुआत होने से, आईपीपीबी किसी भी घर के 5 कि.मी. के दायरे में अंतः परिचालित बैंकिंग पहुंच बिन्दु स्थापित करने तथा 40 करोड़ से अधिक जनधन खाता धारकों के लिए वैकल्पिक पहुंच सृजन करने के भारत सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ हुआ है. यह नेटवर्क सरकारी लाभों को वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, गर्भवती महिलाओं, नरेगा कामगारों सहित विस्तृत श्रेणियों के लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

एईपीएस के द्वारा आईपीपीबी अब डाकिये और जीडीएस माध्यम से फोन न होने पर भी ग्राहकों को उनकी उंगलियों के निशान के प्रयोग से उनके दरवाजे पर सेवा देने में सक्षम है - अतः ''वास्तविक वित्तीय समावेशन प्रणाली '' की नई सुबह का आगमन हुआ है.

आधार समर्थित भुगतान सेवाओं (एईपीएस) के संव्यहारों ने तालाबंदी की अवधि (23 मार्च, 2020 से प्रारंभ) के दौरान उर्ध्वसमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है. आईपीपीबी ने सक्रिय होने के 11 महीनों में 5000 करोड़ मूल्य के कुल एईपीएस संव्यवहार किये हैं. आईपीपीबी के एईपीएस मंच, जो डीबीटी तथा सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों द्वारा नकदी निकासी के लिए, जो लाखों बुजुर्गों, पेंशनरों, दिव्यांगों,महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों तथा अन्य आर्थिक एव कमजोर वर्गों की सहायता कर सकता है, का लाभ उठाने के लिए बैंक ने विभिन्न राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासकों से संपर्क किया है. एईपीएस के द्वारा द्वार पर बैंकिंग सेवाएं यहां तक कि बंद व प्रतिबंधित क्षेत्रों, प्रवासी श्रमिक कैंपों और संवदेनशील क्षेत्रों में भी,उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित है ताकि आवागमन पर प्रतिबंधों से प्रभावित आबादी पर कोई प्रतिकूल असर न हो.

आईपीपीबी में, केवल खाता खोलना ही पर्याप्त नही

हैं, ग्राहकों को यह जानने की आवश्यकता है कि वे इससे क्या कर सकते हैं, उन्हें खाता क्यों खोलना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं व सपनों को पूरा करना कितना सहज है. आईपीपीबी वित्तीय साक्षरता- ग्राहकों को यह समझाना कि असंरक्षित को बीमा कैसे संरक्षण देता है, कैसे संपत्ति से संपत्ति बढ़ती है और कैसे थोड़ी सी बचत भी वित्तीय रुप से मजबूत भविष्य का निर्माण करने में अत्यधिक मददगार है, के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है.

आज डाकिया आपका विश्वस्त वित्तीय सेवाएं सलाहकार बन गया है. आपकी वित्तीय आवश्यकताओं - चाहे सबसे तेज संभव माध्यम से आपके धन को प्राप्त करना हो, इसे जरूरतों के लिए आसानी से और अंकीय रुप से प्रयोग करना हो, अपने प्रियजनों के लिए बचत करना हो या सुनहरे भविष्य के लिए निवेश करना हो, सभी की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठिन परिश्रम करता है. हमारे लिए प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक संव्यवहार महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जमाराशि मूल्यवान है, चाहे वह कितनी ही राशि हो.

इसलिए हमारा वास्तविक आशय यही है, जब हम यह कहते हैं - आपका बैंक आपके द्वार. हमने मजबूत नींवें रखी हैं जो गैर सेवा प्राप्य और अल्प सेवा प्राप्यों व को बैंकिंग सेवा देने में दूर तक प्रभावी होंगी जिससे देश की औपचारिक वित्तीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण रुप से बढ़ेगा. भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक के पास वित्तीय रुप से

सुरक्षित और सशक्त बनने का अवसर हो. आईपीपीबी में हम आपको आपके द्वार पर वित्तीय सुरक्षा और सशक्ति करण देने के लिए तत्पर हैं.

प्रदीप्त कुमार बिसोई

अध्यक्ष

निर्देशक रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,

आपके निर्देशकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा इस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के सहित कम्पनी (आईपीपीबी) की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष के आँकडों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित हैः

राशि रुपये में

	वित्तीय वर्ष समाप्त	**वित्तीय वर्ष समाप्त**
	31 मार्च, 2020	**31 मार्च, 2019**
कुल राजस्व	54,76,23,537	48,28,02,322
कुल व्यय	3,88,77,57,578	2,13,38,09,812
असाधारण मदें पूर्व अवधि व्यय	-	-
निवल लाभ/निवल हानि	**(3,34,01,34,041)**	**(1,65,10,07,490)**
तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि	**(1,64,40,97,989)**	**69,09,501**
आमेलन के लिए उपलब्ध लाभ	**(4,98,42,32,030)**	**(1,64,40,97,989)**
प्रति शेयर अर्जन (मूल)	**(4.00)**	**(3.41)**
प्रति शेयर अर्जन (डायल्यूटेड)	**(4.00)**	**(3.41)**
भारत सरकार की शेयर धारिता (%)	**100%**	**100%**

निष्पादन की मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण

इस अवधि के दौरान, कम्पंनी द्वारा कुल राजस्व रु. 54,76,23,537/- तथा कुल व्यय रु. 3,88,77,57,578/- रिकार्ड किया गया। वर्ष के दौरान कुल हानि रु. 3,34,01,34,041/- है। पिछले वर्ष कम्पनी को रु. 1,65,10,07,490/- की हानि हुई थी।

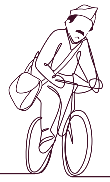

सार्वजनिक जमा राशि

(रु. 000 में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	2000	2000
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्त्तोओं की जमा राशियों की प्रतिशतता	00.20%	00.21%

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा बचत जमाराशियां स्वीकृत, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 में परिभाषित बैंकिंग कम्पंनी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 (1) लागू नहीं होगी ।

लाभांश

कम्पंनी के निर्देशक मंडल द्वारा वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गयी थी।

निर्देशकों का उत्तरदायित्व कथन

निर्देशक गण सदस्यों को आश्वासन देना चाहते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के वित्तीय विवरण अपनी सम्पूर्णता में कम्पंनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

निर्देशक सुनिश्चित करते हैं कि,

- वार्षिक लेखों को लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है;
- सुसंगत आधार पर चयनित तथा लागू की गई लेखांकन नीतियां, कम्पनी के मामलों एवं वित्तीय वर्ष के लाभ के सम्बंध में सही और निष्पक्ष दृष्किोण प्रदान करती हैं;
- कम्पंनी की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पहचान के लिए समुचित लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है;
- वार्षिक लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर बनाया गया है;
- सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से परिचालित थीं ;

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स वी. के. सहगल एंड एसोसिएट्स कं., सनदी लेखाकार (एफआरएन-011519एन) को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं उस पर प्रबंधन के उत्तरों के साथ, बोर्ड रिपोर्ट में संलग्न हैं।

साचिविक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स वीएपीएंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में अनुलग्नक सीके रूप में संलग्न है। साचिविक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई अर्हता, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय से सम्बंधित प्रासंगिक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में दिये गये हैं तथा इस रिपोर्ट में अनुलग्नकबी के रूप में संलग्न हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निर्देशक मंडल द्वारा 19 जनवरी, 2017 को कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को अनुमोदित किया गया। अभी तक कम्पनी पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बंधित प्रावधान लागू नहीं हैं।

निर्देशक मंडल

बैंक का निर्देशक मंडल व्यापक आधार वाला है तथा इसका गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित है। निर्देशक मंडल प्रत्यक्ष के साथ-साथ, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में केंद्रित अधिशासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

निर्देशकों के परस्पर सम्बंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निर्देशक किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य निर्देशक से सम्बंधित नहीं है।

बोर्ड की बैठकों के लिए निर्दिष्ट संख्या

बोर्ड की बैठकों के लिए सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या कुल संख्या का एक तिहाई या दो निर्देशक, जो भी अधिक होगा, बशर्ते कि उसमें कम से कम एक निर्देशक केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हो।

31 मार्च, 2020 को कम्पनी का निदेशक मंडल:

क्र.सं.	निर्देशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1	प्रदीप्त कुमार बिसोई	अध्यक्ष एवं निर्देशक	03/01/2020
2	अंशुमान शर्मा	निर्देशक	17/08/2016
3	मनीषा सिन्हा	नामित निर्देशक	06/08/2019
4	सुरेश कुमार सेठी	प्रबंध निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	27/10/2017
5	कृष्ण गोपाल कर्माकर	स्वतंत्र निर्देशक	28/06/2017
6	गौरी शंकर	स्वतंत्र निर्देशक	28/06/2017

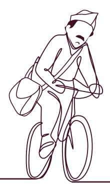

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

7	संजय प्रसाद	नामित निर्देशक	05/12/2018
8	विष्णु रामप्रताप दुसाद	स्वतंत्र निर्देशक	30/01/2018
9	पिल्लतरी सेट्टी सतीश	स्वतंत्र निर्देशक	30/01/2018
10	सुषमा नाथ	स्वतंत्र निर्देशक	30/01/2018

निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान / पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से रिपोर्ट तिथि तक, निर्देशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया गया।

क्र.सं.	निर्देशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1	प्रदीप्त कुमार बिसोई	अधीक्षक एवं निर्देशक	03/01/2020
2	मनीषा सिन्हा	नामित निर्देशक	06/08/2019

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट वर्ष के दौरान / पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से आज की तिथि तक, निर्देशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नहीं रहे। :

क्र.सं.	निर्देशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र की तिथि
1	टी.क्यू. मोहम्मद	नामित निर्देशक	12/10/2018	06/08/2019
2	ए.एन.नंदा	अध्यक्ष एवं निर्देशक	25/05/2017	03/01/2020

निम्नलिखित व्यक्तियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट की अवधि के दौरान केएमपी के रूप में पदनामित किया गया:

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1	सुरेश सेठी	प्रबंध निर्देशक एवं मुख्यि कार्यकारी अधिकारी	27/10/2017
2	सीमा सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी	30/04/2019
3	प्रियंका भटनागर	कम्पनी सचिव	16/01/2017

बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी के निर्देशक मंडल की निम्न सात (7) बैठकें आयोजित हुई:

बोर्ड की 29 वीं बैठक, 05 अप्रैल, 2019	बोर्ड की 30वीं बैठक, 27 मई, 2019	बोर्ड की 31 वीं बैठक, 23 जुलाई, 2019	बोर्ड की 32वीं बैठक, 12 सितम्बर, 2019
बोर्ड की 33 वीं बैठक, 17 अक्तूबर,2019	बोर्ड की 34 वीं बैठक, 06 जनवरी , 2020	बोर्ड की 35 वीं बैठक, 19 फरवरी, 2020	

बोर्ड की बैठकों में निर्देशकों की उपस्थिति

निर्देशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या - 07)
प्रदीप्त कुमार बिसोई	02 में से 2
ए. एन. नन्दा	05 में से 4
सुरेश कुमार सेठी	07 में से 07
कृष्ण गोपाल कर्माकर	07 में से 07
गौरी शंकर	07 में से 06
संजय प्रसाद	07में से 05
विष्णु राम प्रताप दुसाद	07 में से 03
पिल्लुरी सेट्टी सतीश	07 में से 04
सुषमा नाथ	07 में से 06
टी. क्यू. मोहम्मद	03 में से 02
अंशुमान शर्मा	07 में से 03
मनीषा सिन्हा	04 में से 4

समितियाँ

बैंक के निर्देशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट अधिशासन तथा जोखिम प्रबंधन के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में नीतिगत महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए निर्देशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न उप-समितियों का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नलिखित हैं:

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. ग्राहक सेवा समिति
5. हितधारक सम्बंध समिति
6. एचआरसंचालन समिति(पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति)
7. बोर्ड की आईटी संचालन समिति

लेखापरीक्षा समिति:

कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति का गठन दिनांक 28 जून, 2017 को किया गया और इसमें तीन स्वतंत्र निर्देशक एवं एक नामित निर्देशक सहित स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में प्रबंध निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 07 बैठकें आयोजित हुई:

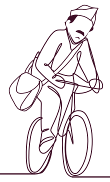

9वीं लेखापरीक्षा समिति 05 अप्रैल , 2019	10वीं लेखापरीक्षा समिति 24 मई, 2019	11वीं लेखापरीक्षा समिति 22 जुलाई, 2019	12वीं लेखापरीक्षा समिति 12 सितम्बर, 2019
13वीं लेखापरीक्षा समिति 26 सितम्बर, 2019	14वीं लेखापरीक्षा समिति 16 अक्टूबर,2019	15वीं लेखापरीक्षा समिति 6 जनवरी, 2020	

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। अन्य के साथ कार्यों की कुछ सूची निम्नलिखित हैः

1. कम्पनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु सिफ़ारिशें;
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी;
3. वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परीक्षण;
4. सम्बंधित पक्षों के साथ कम्पनी के लेन-देन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन;
5. अंतर-कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
6. कम्पनी के उपक्रमों अथवा आस्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक माना जाए;
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
8. सार्वजनिक प्रस्तावों द्वारा जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग तथा सम्बंधित मामलों की निगरानी;
9. बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुदेशित किए जाने वाले अन्य उत्तरदायित्व.

निगरानी प्रणाली

कम्पनी में व्हिसल ब्लोअर नीति के रूप में एक निगरानी प्रणाली विद्यमान है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायतें उठाने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदान करना है और कर्मचारियों को आश्वस्त करना है कि अत्याचार के विरूद्ध तथा सद्भाव से उनके द्वारा किये गये किसी भी व्हिसल ब्लोअर के लिए उनकी सुरक्षा की जायेगी। इस नीति का उद्देश्य कम्पनी के कर्मचारियों की किसी भी समस्या को नजर अंदाज करने या उसे बाह्य रूप से संभालने के स्थान पर संगठन के अंदर गम्भीर चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करना है।

कम्पनी पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जवाबदेही के उच्चतम संभव मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसमें सद्भाव के साथ चिंता उठा कर निगरानी प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उपाय सम्मिलित हैं। व्हिसल ब्लोअर की इच्छा के अनुसार, कम्पनी व्हिसल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखती है हालांकि व्हिसल ब्लोअर को अनुशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही, जैसा भी शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो, में भाग लेना आवश्यक है । यह प्रणाली एक विस्तृत शिकायत एवं जांच प्रक्रिया प्रदान करती है।

यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से शिकायत कर सकता है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को सीधे प्रबंध निर्देशक से सम्पूर्क करने हेतु एक मंच भी प्रदान करती है। उल्लंघनों की सूचना प्रदान करने वाले लोगों की गोपनीयता बनाये रखी जाती है और उनके साथ कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था और इसमें दो स्वतंत्र निर्देशक, एक नामित निर्देशक, प्रबंध निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रिति के रूप में मुख्य जोखिम व अनुपालन अधिकारी सम्मिलित हैं। कम्पनी में एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य जोखिम और प्रतिलाभ के मध्य संतुलन रखना है। इसमें कंपनी के व्यवसायों में जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन का समावेश है। इस नीति के अनुसार, निगरानी और सुधारात्मक कार्यवाही सतत आधार पर की जाती है। समिति के पास बाजार एवं परिचालन जोखिम सहित उचित जोखिम प्रबंधन नीति बनाने, जोखिम एकीकरण, सर्वोतम जोखिम प्रबंधन व्यवहारों का कार्यान्वयन, विभिन्न जोखिम सीमाओं की स्थापना तथा बैंक के सायबर सुरक्षा की समीक्षा सहित, बैंक के पूर्ण जोखिम प्रबंधन का समग्र दायित्व है। कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन नीति यथावत कार्यान्वित की है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की तीन (03) बैठकें आयोजित हुई।

4थी जोखिम प्रबंधन समिति 22 जुलाई , 2019	5वीं जोखिम प्रबंधन समिति 17 अक्तूबर , 2019	6ठी जोखिम प्रबंधन समिति 06 जनवरी , 2020

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निर्देशक और दो नामित निर्देशक सम्मिलित हैं। समिति का गठन, बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत निर्देशकों के रुप में चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की स्थिति के ‘‘ उपयुक्त तथा उचित मानदंड ’’ के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी बरतने हेतु किया गया। साथ ही, भारत सरकार की दिनांक 30.8.2019 की अधिसूचना के द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के साथ, आर बी आई के 02.08.2019 के मूल निर्देश में विनिर्दिष्ट अनुसार संयोजन के साथ दोनों कार्यो के लिए एकल नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के गठन का निर्देश दिया गया ।

ग्राहक सेवा समिति

कम्पनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन 28 जून, 2017 को बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में जारी सुधारों को सतत आधार पर लाने के लिए किया गया । समिति में दो स्वतंत्र निर्देशक, एक नामित निर्देशक, प्रबंध निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रित के रूप में मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, ग्राहक सेवा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

एच आर संचालन समिति (पूर्व में भती सलाहकार समिति के रुप में ज्ञात)

कम्पनी की एच आर संचालन समिति का गठन 01 दिसम्बर, 2017 को किया गया तथा इसमें चार स्वतंत्र निर्देशक, एक नामित निर्देशक, प्रबंध निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रित के रूप में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान भर्ती सलाहकार समिति की चार (04) बैठ कें आयोजित हुई।

8वीं आरएसी समिति 09 जुलाई, 2019	9वीं आरएसी समिति 22 जुलाई, 2019	10वीं आरएसी समिति 16 अक्तूबर, 2019	11वीं,आरएसी समिति 06 जनवरी, 2020

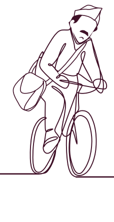

हितधारक सम्बंध समिति

कम्पनी की हितधारक सम्बंध समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया तथा इसमें एक स्वतंत्र निर्देशक, एक नामित निर्देशक तथा प्रबंध निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। समिति हितधारकों की शिकायतों के निवारण की पद्धति की देख - रेख के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

आईटी संचालन समिति

बोर्ड की आईटी संचालन समिति का गठन 05 दिसम्बर, 2018 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निर्देशक, एक नामित निर्देशक तथा प्रबंध निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। मुख्य तकनीकी अधिकारी समिति में स्थायी आमंत्रित हैं। बोर्ड की आई टी संचालन समिति के मुख्य कार्य है :

1. प्रबंधन द्वारा प्रभावी कार्यनीति आयोजना प्रक्रिया की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए आईटी कार्यनीति तथा नीति का अनुमोदन
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपीपीबी का तकनीकी संगठनात्मक स्वरूप व्यवसायिक स्वरूप के अनुकूल है, प्रतिभा स्त्रोतों पर सहायता व अनुदेश प्रदान करना ।
3. सर्वोत्तम व्यवहार तकनीक कार्यान्वयन पर केन्द्रित प्रणालीगत आर्किटेक्चर बनाने के लिए प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करना
4. नए तकनीक विकल्पों और लागत विवेचनों के समायोजनों के साथ जोखिम तथा लाभ में संतुलन करने हेतु निम्नव्यवसाय मानदंडों पर तकनीक में निवेश का अनुमोदन
   - अ) नये राजस्व क्षेत्र
   - ब) ग्राहक अनुभव को बढ़ाना
   - स) विनियामक अनुपालन
   - द) प्रक्रिया कुशलता को बढ़ाना

वर्ष 2019 -20 के दौरान आई टी संचालन समिति की छः (6) बैठ कें हुई।

पहली आई टी संचालन समिति 28 अगस्त, 2019	दूसरी आई टी संचालन समिति 19 सितम्बर, 2019	तीसरी आई टी संचालन समिति 19 दिसम्बर, 2019	चौथी आई टी संचालन समिति 30 जनवरी, 2020
पांचवी आई टी संचालन समिति 3 फरवरी, 2020	छठी आई टी संचालन समिति 12 फरवरी, 2020		

स्वतंत्र निर्देशकों की घोषणा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार कम्पनी को प्रत्येक स्वतंत्र निर्देशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई कि वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूर्ण करता है और बोर्ड के विचार से वे अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तो एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को पूर्ण करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सम्बंध में कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत सूचना

आईपीपीबी के सरकारी कम्पनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान, लागू नहीं होंगे। कम्पनी के कार्यात्मक निर्देशकों की नियुक्ति के सम्बंध में नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। आईपीपीबी के कम्पनी सचिव व मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतन, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों और वैयक्तिक निर्देशकों के निष्पादन के सम्बंध में औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन का विवरण

आईपीपीबी के सरकारी कम्पनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

संबद्ध पक्षकार लेन-देन

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई भी सम्बद्ध पक्षकार संविदा, अनुबंध या लेन-देन नहीं किया गया है, और इसीलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के अनुसार फार्म एओसी 2 में संदर्भित संबद्ध पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये संविदाओं / अनुबंधों सम्बंधित विवरण का कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

होल्डिंग एवं सहायक कम्पनी

कोई भी होल्डिंग अथवा सहायक कम्पनी नहीं है।

कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में परिवर्तन

(i) प्राधिकृत पूंजीः 103,50,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/-

(ii) प्रदत्त पूंजीः 70,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/-

इक्विटी शेयरों का अधिकार निर्गम

कम्पनी ने 33,50,00,000 इक्विटी शेयरों का अधिकार निर्गम शेयरधारकों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में मौजूदा इक्विटी शेयर धारक, भारत के राष्ट्रपति को सचिव, डाक विभाग, के माध्यम से किया है।

वार्षिक विवरण का निष्कर्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अनुसार 31 मार्च, 2020 के वार्षिक विवरण का निष्कर्ष फार्म एमजीटी 9 में तथा जोइस रिपोर्ट का एक भाग है,अनुबंध ए के रूप में संलग्न है।

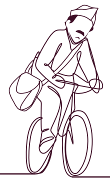

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किये गये ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किये गये और इसीलिए, उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होता है।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता:

इस रिपोर्ट अवधि के दौरान कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कम्पनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई), अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर कार्यवाही के लिए संगठन में व्यापक स्तर पर व्यवस्था की है। जानकारी प्राप्त करने में एक नागरिक की सहायता एवं सुविधा के लिए आईपीपीबी की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिनमें जानकारी प्राप्त करने और अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अनुरूप आईपीपीबी की वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्रसार का सक्रिय प्रकटीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम की कम से कम सहायता लेनी पड़े।

राजभाषा (आधिकारिक भाषा)

आपकी कम्पनी आधिकारिक भाषा (राजभाषा हिन्दी) के प्रचार-प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए अत्यधिक प्रयत्न करती है। भारत सरकार की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियमावली/आदेशों के अनुसार कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को सत्त बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान इस सम्बंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, यथा लेखन में सरल एवं बोल चाल के शब्दो के प्रयोग से दैनिक कार्यालयीन पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। कम्पनी की वेबसाइट अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में उपलब्ध है।

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5) (viii) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) क्यूके अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के सम्बंध में सूचना

कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता एवं तत्परता तथा विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा विनियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा साथ ही साथ इसकी पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है। प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टो पर चर्चा की जाती है।

निर्देशकों द्वारा सांविधिक प्रकटीकरण

आपकी कम्पनी का कोई भी निर्देशक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है। आपके निर्देशकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

औद्योगिक सम्बंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच अत्यधिक सौहार्दपूर्ण सम्बंध थे। कम्पनी के कर्मचारियों के विकास हेतु मानव संसाधन पहलें जैसे- कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण एवं उत्पादकता प्रगति महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसीलिए किसी रूप में कोई भी भेदभाव और/या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करती है। कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यसकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है। यौन उत्पीड़न के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, कम्पनी को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आपके निर्देशक पुनः स्पष्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

अभिस्वीकृति

निर्देशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। निर्देशक मंडल सीएंडएजी और सांविधिक लेखापरीक्षकों, साचिविक लेखापरीक्षकों से मिले अत्यधिक मूल्यवान सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी के मूल्यवान योगदान , कड़ी मेहनत तथा समर्पण के लिए भी निर्देशकगण धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोर्ड का विश्वास है कि कर्मचारियों के अनवरत एवं समर्पित प्रयासों से आपकी कम्पनी नई चुनौतियों का सामना करने एवं बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगी।

परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

1. कम्पनी का ''वार्षिक विवरण का निष्कर्ष'' इस रिपोर्ट के अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है।
2. कम्पनी की ''साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट'' इस रिपोर्ट के अनुबंध-बी के रूप में संलग्न है।
3. कम्पनी की ''स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट'' इस रिपोर्ट के अनुबंध-डीके रूप में संलग्न है।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ''वार्षिक लेखे'' इस रिपोर्ट के अनुबंध-ई के रूप में संलग्न है।
5. ''कैग लेखापरीक्षा रिपोर्ट'' अनुबंध -एफफ
6. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी एवं अवलोकन तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर।
7. कम्पनी के लेखापरीक्षकों की टिप्पपणियों पर प्रबंधन का उत्तर

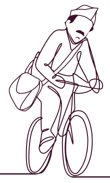

कृते और निर्देशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 नवम्बर 2020

पी. के बिसोई
अध्यक्ष
डीआईएन 08642904
बी-3 टॉवर 6
न्यूब मोती बाग.
नई दिल्ली -110023

जे वेंकटरामू
प्रबंध निर्देशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन 08918442
प्लॉट नंबर 169
सीबीआर कृष्णा वेणी एन्क्लेव
यरपाल, तिरुमालागिरी,
हैदराबाद-500087

अनुबंध- ए

फार्म संख्या एमजीटी. 9
वार्षिक विवरण का निष्कर्ष

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i) सीआईएन	U74999DL2016GOI304561
ii) पंजीकरण तिथि	17 अगस्त, 2016
iii) कम्पनी का नाम	इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
iv) कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी / संघ सरकार की कम्पनी
v) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा सम्पर्क विवरण	पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, मार्केट रोड, नई दिल्ली -110001
vi) क्या कम्पनी सूचीबद्ध है?	नहीं (कंपनी के शेयर अमूर्त रुप में धारित हैं)
vii) पंजीयक तथा अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण	एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड सीआईएन U72400MH2004PLC147094 पताः 4था तल, ट्रेड वर्ल्डत ए विंग, कमला मिल्सि कम्पावउंड, सेनापति बापतमार्ग, लोअर परेल, मुंबई -400013

II. कम्पनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कम्पनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का वर्णन किया जायेगाः-

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1	पेमेन्ट्स बैंक	ग्रुप 649	100%

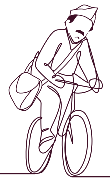

III. होल्डिंग, सहायक एवं एसोसिएट्स कम्पनियों का विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक / एसोसिएट्स	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1.	लागू धारा				

IV. शेयर धारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के अलग -अलग आंकड़े)

i. श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयर धारकों	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान %परिवर्तन
	भौतिक	डीमैट	कुल	कुल शेयरों का %	भौतिक	डीमैट	कुल	कुल शेयरों का %
ए. प्रवर्तक								
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) वैयक्तिक / एच यू एफ (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	-	6	6	.01%	-	6	6	.01%
ब) केंद्र सरकार राज्य सरकार (सरकारें)	-	699999994	699999994	99.99%	-	1034999994	1034999994	99.99%
स) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-
द) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
य) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ए) (1):-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) एनआरआई - वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) अन्य -वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-
स) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-
द) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
य) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ए)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)	-	70,00,00,000	70,00,00,000	100	-	1,03,50,00,000	1,03,50,00,000	100
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता	-	-	-	-	-	-	-	-
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) बैंक/ वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयर धारकों	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान %परिवर्तन
स) केंद्र सरकार /राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-
द) जोखिम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
य) बीमा कम्पनियां	-	-	-	-	-	-	-	-
र) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-
ल) विदेशी जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
व) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (बी)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक धारित अधिकृत शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक* शेयर धारक ii) रु. 1 लाख से अधिक धारित अधिकृत शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-
स) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
i) विदेशी ii) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) निर्देशक	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-
v) विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (बी)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी= (बी)(1) + (ब)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए+बी+सी)		70,00,00,000	70,00,00,000	100	-	1,03,50,00,000	1,03,50,00,000	100

*भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 6 व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक 01 शेयर धारित करता है।

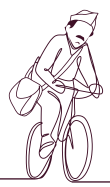

ii. प्रवर्तकों की शेयर धारिता (इक्विटी)

इक्विटी

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारिता			
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक रखे गये / ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक रखे गये / ऋणग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन
1	डाक सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	69,99,99,994*	100	69,99,99,994*	1,03,50,00,000*	100	-	-
2	अजय कुमार रॉय (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	-	-
3	बी. पी. श्रीदेवी (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	-	-
4	सचिन किशोर (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	-	-
5	टी. क्यू. मोहम्मद (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	-	-
6	विनीत माथुर (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	-	-
7	आलोक पांडे (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	-	-
	कुल	70,00,00,000	100	-	1,03,50,00,000	100	-	-

*भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 06 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया उल्लेख करें):

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	शीर्ष 10 शेयर धारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	शीर्ष 10 शेयर धारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	शीर्ष 10 शेयर धारकों में प्रत्येक के लिए
1	वर्ष के प्रारम्भ में	70,00,00,000	100		
	अधिकार निर्गम द्वारा वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि	33,50,00,000			
	वर्ष की समाप्ति पर	1,03,50,00,000*	100		
	कुल	**1,03,50,00,000***	**100**		

*भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 06 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

शीर्ष 10 शेयर धारकों का शेयर धारिता स्वरूप (निर्देशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अतिरिक्त अन्य):

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	शीर्ष 10 शेयर धारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे- आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेद इक्विटी इत्यादि) को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iv. निर्देशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता:

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
1	टी. क्यू. मोहम्मद	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %
	वर्ष के प्रारम्भ में	01	00%	-	-
	वर्ष के दौरान अंतरण	-	00%	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर	01	.01%	-	-

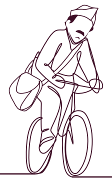

त. ऋणग्रस्तताः

कम्पनी की ऋणग्रस्तता, बकाया/उपचित, किंतु भुगतान हेतु देय नहीं, ब्याज सहित

	जमा राशियों के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय किंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज iii) उपचित ब्याज किन्तु देय नहीं	- - -	- - -	- - -	- - -
योग (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	- -	- -	- -	- -
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय किंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज iii) पचित ब्याज किंतु देय नहीं	- - -	- - -	- - -	- - -
योग (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निर्देशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निर्देशक, पूर्णकालिक निर्देशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निर्देशक/ पूका. निर्देशक/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	श्री सुरेश सेठी	33.92 लाख प्रतिवर्ष
2.	स्टॉक विकल्प	18.83 लाख प्रतिवर्ष	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन)	-	-

बी. अन्य निर्देशकों को पारिश्रमिकः (31/03/2020 तक)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निर्देशक/पू.का. निर्देशक/प्रबंधक का नाम कुल राशि (रु.)					कुल राशि (रु.)
1.	स्वतंत्र निर्देशक	श्री गौरी शंकर	डा. के. जी. कर्माकर	श्री विष्णु दुसाद	श्री पी. सतीश	सुश्री सुषमा नाथ	
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में सम्मिलित होने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करंत रु. 3,50,000/- एवं जीएसटी	रु. 3,50,000/- एवं जीएसटी- -	रु. 2,80,000/- एवं जीएसटी - -	रु. 1,50,000/- एवं जीएसटी - -	रु. 90,000/- एवं जीएसटी - -	रु. 2,10,000/- एवं जीएसटी - -	रु. 10,80,000/- एवं जीएसटी - -
	योग (1)	3,50,000	2,80,000	1,50,000	90,000	2,10,000	10,80,000
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निर्देशक	श्री पी. के बिसोई	सुश्री मनीषा सिन्हा	श्री संजय प्रसाद	श्री अंशुमान शर्मा		-
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में सम्मिलित होने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करंश	-	-	-	-		-
	योग (2)		-	-	-		-
	कुलयोग (बी) = (1 + 2)		-	-	-		-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		-	-	-		-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा		-	-	-		-

सी. प्रबंध निर्देशक/प्रबंधक/पूर्ण कालिक निर्देशक के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मु.का. अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	12.29 लाख प्रतिवर्ष	38.60 लाख प्रतिवर्ष	- -	
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	

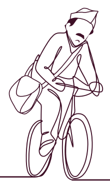

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	-	-	-	
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन)	-	-	-	

VII. अपराधों के लिए अर्थदंड/ दंड/ समझौता: शून्य

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अर्थदंड/ दंड/ समझौता के लिए लगाये गये शुल्कों का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/न्यायालयें	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
ए. कम्पनी	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
बी. निर्देशक	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
सी. अधिकारियों द्वारा अन्य चूक	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 नवम्बर 2020

पी. के बिसोई
अध्यक्ष
डीआईएन 08642904
बी-3 टॉवर 6
न्यूब मोती बाग.
नई दिल्ली -110023

जे वेंकटरामू
प्रबंध निर्देशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन 08918442
प्लॉट नंबर 169
सीबीआर कृष्णा वेणी एन्क्लेव
यरपाल, तिरुमालागिरी,
हैदराबाद-500087

अनुबंध - II

कम्पंनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (एम.) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार

(ए). ऊर्जा संरक्षणः

ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये प्रयास	प्रभावी ऊर्जा उपकरणों की स्थापना
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किये गये प्रयास	कम्पनी के पास ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है।
ऊर्जा संरक्षण के लिए पूंजीगत निवेश	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर निवेश हेतु विचार किया जाता है।

(बी) प्रोद्यौगिकी समावेशनः

(i). प्रोद्यौगिकी समावेशन हेतु किया गया प्रयासः शून्य

(ii). उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभः शून्य

(iii). आयातित प्रोद्यौगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से परिगणित पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): लागू नहीं

(अ). आयातित प्रोद्यौगिकीका विवरण
(ब). आयात का वर्ष
(स). क्या प्रोद्यौगिकी पूर्ण रूप से समावेश हो गई है
(द). यदि पूर्ण रूप से समावेश नहीं हुई है, तो वह क्षेत्र जहां समावेश नहीं हुई है, तथा उसके कारण; और

(iv). अनुसंधान एवं प्रगति पर किया गया व्ययः शून्य

(सी) विदेशी विनिमय अर्जन और व्ययः
उपयोग किया गया विदेशी विनिमयः शून्य
अर्जित किया गया विदेशी विनिमयः शून्य

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण्

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड,

हमने **इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (सीआईएन U74999DL2016GOI304561)** (इसके पश्चात इसे 'कम्पनी'कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन का साचिविक लेखापरीक्षण किया है. साचिविक लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जिससे कॉरपोरेट कार्यविधियों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु हमें उचित आधार प्राप्त हुआ.

ए. कम्पनी की बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्ता पुस्तिकाओं, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच तथा कंपनी, इसके अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से सचिवीय लेखा परीक्षा करने के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर भी,हम एतद द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कम्पनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष ("लेखा अवधि") की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कम्पनी में, यहां इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अनुरूप एवं सीमा तक, समुचित बोर्ड- प्रक्रियाएं तथा अनुपालन पद्धतियां मौजूद हैं.

बी. हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखे गये बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये विनियम और उपनियम; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए बनाये गये नियम एवं विनियम; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पिनी पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत वर्णित विनियम एवं दिशानिर्देश; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(vi) कम्पनी में विद्यमान अनुपालन पद्धति के अनुरूप, कम्पनी के अनुपालन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर , हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने सामान्यत : , बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भुगतान एवं निपटान पद्धतियां अधिनियम 2007, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों आदि सहित, प्रबंधन द्वारा पहचाने एवं पुष्टि किए गए उन अधिनियमों के प्रावधानों, जो कम्प नी को लागू होते हैं, का अनुपालन किया है, जिस सीमातक वे कम्पनी पर लागू हैं. तथापि, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कारपोरेट गवर्नेंस पर दिशा निर्देशों के अनुरूप उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है,हमें उपलब्ध करवाई गई जानकारी एवं कागज़ातों के अनुसार कम्पनी ने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को आवेदन किया है कि " कम्पनी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में वगीकृत किया जाना चाहिए और सीपीएसई के रूप में नहीं ". कम्पनी द्वारा लागू वित्तीय विधियों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर विधियों, के अनुपालन की इस लेखा परीक्षा में संवीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वे सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षा एवं अन्या नामित पेशेवरों द्वारा संवीक्षा के अधीन हैं.

सी. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की हैः

I भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्देशक मंडल की बैठकों (एसएस -1) तथा सामान्य बैठकों (एसएस - 2) के संदर्भ में जारी साचिविक मानक

II कम्पनी द्वारा स्टॉक एक्सवचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को लागू नहीं)

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन कम्पनी द्वारा उपरोक्त अधिनियमों, नियमावलियों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है.

ए. सीएफओ की नियुक्ति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संस्तुति के बिना की गई है.

बी. कम्पनी के रिकार्डो के अनुसार कुछ मामलों में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, अतिरिक्त शुल्क के साथ फार्म एवं विवरणियां फाइल की हैं.

सी. 31 मार्च, 2020 को बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों की संख्या भुगतान बैंकों के लाईसेंसीकरण के दिशा निर्देशों (" लाईसेंसीकरण दिशा निर्देश'') में विनिर्दिष्टनुसार बहुमत में नहीं हैं, दस निर्देशकों में से पाँच निर्देशक स्वतंत्र निर्देशक हैं.

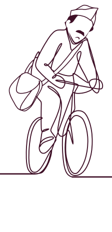

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

I. कम्पनी का निर्देशक मंडल, कार्यकारी निर्देशकों, गैर - कार्यकारी निर्देशकों तथा स्वतंत्र निर्देशकों के समुचित संतुलन से विधिवत गठित है, सिवाए इसके कि 31 मार्च, 2020 को बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों की संख्या ("लाईसेंसीकरण दिशा निर्देशा") में विनिर्दिष्टनुसार बहुमत में नहीं थी, दस निर्देशकों में से पाँच निर्देशक स्वतंत्र निर्देशक थे, निर्देशक मंडल के स्वरूप में संवीक्षा अवधि के दौरान किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालनार्थ किए गए थे.

II. सभी निर्देशकों को बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने का पर्याप्त नोटिस दिया गया है,कार्यवृत्त और कार्यवृत्त के विस्तृत नोट, सामान्यतः कम से कम सात दिन पहले भेजे गये, हालांकि, कुछ मामलों में नोटिस और कार्यवृत्त कागजात, बोर्ड की सहमति से कम नोटिस पर भेज गए और बैठक से पूर्व और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यवृत्त मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है.

III. बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जैसा कि निर्देशक मंडल अथवा बोर्ड की समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी तथा रखे गए रिकार्डो तथा विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा जारी किए अनुपालन प्रमाणपत्र के आधार पर, कम्पनी में, उसके आकार एवं परिचालनों के अनुरूप निगरानी एवं लागू विधियों , नियमों , विनियमों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पद्धतियां एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी में निम्नलिखित घटनाएं हुई जिनका कम्पनी के मामलों पर ऊपर उल्लिखित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों आदि के अनुसार प्रभाव हुआ .

ए) 30.9.2019 को बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1035 करोड़ करने के लिए संस्था के बहिर्नियमों को बदला.

बी) संस्था के अंतर्नियमों के कुछ खंडों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप बदला .

सी) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने सचिव, डाक विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को दस रुपये प्रतिशेयर के 335000000 इक्विटी शेयर अधिकार निर्गम आधार पर आवंटित किए.

टिप्पणीः

ए) इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाये, जिसे ''अनुलग्न'' ए के रूप में संलग्न किया गया है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है.

बी) कोविड - 19 महामारी में सीमित आवा-जाही के कारण, हमने कार्यवृत्तों, कागज़ातों, रजिस्टरों और अन्य रिकार्डो आदि सहित साचिविक रिकार्डो की जांच के द्वारा साचिविक लेखा परीक्षण किया और उनमें से कुछ कम्पनी से इलेक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा प्राप्त किए गए और मूल रिकार्डो से सत्यापित नहीं किए जा सके. प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें दिए गए रिकार्ड सत्य और सही हैं.

सी) यह रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में सूचीबद्ध विधियों / विनियमों / दिशा निर्देशों के सांविधिक अनुपालन तक सीमित है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की इस रिपोर्ट की तिथि तक कम्पनी द्वारा अनुपालित किए गए हैं. हम उन सांविधिक अनुपालनों पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जिनकी नियत तिथि कोविड -19 के कारण विनियामकों द्वारा समय - समय पर बढ़ा दी गई है अथवा इस प्रकार के अनुपालनों का पालन करने के लिए अभी समय है.

कृते वीएपी एवं एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
एफआरएनः S 2014UP280200

हस्ताक्षरित
पारुल जैन
(स्वामी)
सदस्यता संख्याः एफ 8323
सीपी संख्याः 13901

यूडीआईएन : एफ 008323बी000921611

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 12.10.2020

अनुलग्न-ए

सेवा में,

सदस्यगण्

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाये.

1. साचिविक रिकार्डो के रखरखाव का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकार्डो पर विचार व्यक्त करना है.
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो साचिविक रिकार्डो की विषय सूची की सत्यता के सम्बंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थीं। साचिविक रिकार्डो की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु सत्यापन को परीक्षण आधार पर किया गया। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया गया, वे हमें विचार व्यक्त करने हेतु उचित आधार प्रदान करते हैं.
3. हमने संवीक्षाधीन अवधि के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट /अन्यत लेखा परीक्षा रिपोर्टो पर विश्वास किया है; इसलिए नमूना आधार पर सांविधिक / विधिक अनुपालनों की शुद्धता और पर्याप्तता की जांच की है. उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित अर्हताएं / टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है.
4. हमने संवीक्षाधीन अवधि के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है ; हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डो तथा खाता बहियों की शुद्धता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।. उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित अर्हताएं / टिप्पणियां भी हमारी रिपोर्ट का भाग हैं.
5. जहां भी आवश्यक था, हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बंध में प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त किया है.
6. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू विधियों के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जाँचपरीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी.
7. कम्पनी की बहियों और रिकार्डों की भारत में सामान्यतःस्वीकृत पद्धतियों के अनुरूप की गई अपनी जांच के दौरान, हमें कम्पनी पर अथवा के द्वारा की गई कोई जालसाजी की घटना नहीं मिली हैं, नही कम्पनी ने वर्ष के दौरान ऐसी किसी घटना को नोटिस और रिपोर्ट किया है और तद्नुसार कम्पनी ने ऐसा कोई भी मामला हमें सूचित नहीं किया है.

कृते वीएपी एवं एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
एफआरएनः S 2014UP280200

हस्ताक्षरित
पारुल जैन
(स्वामी)
सदस्यता संख्याः एफ 8323
सीपी संख्याः 13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 12.10.2020

यूडीआईएन : एफ 008323बी000921611

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
की
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

एकल वित्तीय विवरण राय की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (''बैंक'')की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 का तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता, तब समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित हैं ।

2. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए (स्पष्टी करणों) के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय तथा विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एव दिशा निर्देशों के द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कम्पनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं तथा कम्पनी (लेखांकन) नियमावली, 2014, (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को बैंक के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ तथा इसके नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

3. हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व वाले अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत, एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है।

ध्यानाकर्षण मामले

4. चूंकि डाक विभाग ने साज सज्जा, ब्राडिंग और लोकापर्ण समारोहों के संचालन से संबंधी सभी कार्य किए थे, कुछ विक्रेताओं ने डाक विभाग के नाम से बिल जारी किए हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि डाक विभाग पैतृक संस्थान है, आईपीपीबी ने डाक विभाग के नाम के बिलों को ऐसे स्वीकार कर लिया है जैसे ये बिल उनके हैं और अपनी खाता बहियों में उनके लिए लेखांकन किया है ।

5. हम संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्रमांक 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें नई कोरोना वायरस (कोविड -19) के फैलाव के कारण अनिश्चिताओं का उल्लेख है। इन अनिश्चिताओं के कारण बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर प्रभाव भविष्य के घटनाक्रम पर विशेष रुप से निर्भर है।

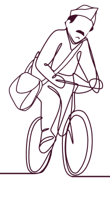

इस संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

कोविड -19 के कारण कार्य क्षेत्र सीमाएं

वर्तमान रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई राय, बैंक प्रबंधन द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से उपलब्ध कराई गई सीमित सूचनाओं तथ्यों तथा आगतों पर आधारित है। हम यह रेखाकिंत करना चाहते है कि कोविड -19 के कारण शारीरिक रुप से आवाजाही पर प्रतिबंधों तथा सख्त समय सीमा के कारण समस्त लेखा परीक्षण दल प्रधान कार्यालय अथवा शाखाओं में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों के तहत वर्णित अपेक्षित लेखा परीक्षा प्रकियाएं पूरी करने के लिए नहीं जा सके लेकिन यह निम्न तक सीमित नहीं है :

ए) मूल दस्ताकवेजों / फाइलों का निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण तथा सत्यापन

बी) अचल आस्तियों/ स्टेशनरी संचालन रिकार्डो की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

सी) एफफए के सत्यापन के लिए शाखाओं का दौरा

डी) राज्यों के मध्य आवागमन पर प्रतिबंध ने आई टी प्रणालियों तथा उनमें निहित नियंत्रणों के अध्ययन के लिए डाटा सेन्टर के दौरे पर भी रोक लगा दी।

उपरोक्त मामलों में हमारी राय परिमित नहीं है ।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

6. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायिक मतानुसार, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। पूर्ण रूप में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा तथा उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर ध्यान दिया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

7. हमने निम्न मामलों को अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामले सूचित किए जाने के लिए निर्धारित किया है.

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1	राजस्वों एवं अन्य सम्बंधित शेष राशियों के निर्धारण, मापन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रकटीकरण की स्टीकता	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा निम्नानुसार वास्तविक परीक्षण सम्मिलित हैं : • कम्पनी द्वारा अपनाई गई राजस्व निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। • राजस्व मदों के नमूने का चयन किया गया और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा राजस्व मदों की पहचान एवं उन्हें खाता-बहियों में निरूपित करने से सम्बंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। हमनें इन नियंत्रणों के परिचालन के सम्बंध में जांच एवं अवलोकन, निष्पादन तथा साक्ष्य के निरीक्षण सम्बंधित संयुक्त प्रक्रियाओं का संयोजन किया।

		• राजस्व के अधिलेखन एवं प्रकटीकरण में उपयोग की जाने वाली राजस्व तथा संबद्ध सूचनाओं से सम्बंधित सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच एवं प्रबंधन परिवर्तन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। • राजस्व की गणना हेतु प्रयुक्त संव्यवहार कीमत जांच तथा परिवती प्रतिफल के आंकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी परिवती प्रतिफल सहित संव्यवहार कीमत को निर्धारित करने के लिए प्रभार तालिका पर विचार किया गया।
2	व्ययों एवं अन्य सम्बंधित शेष राशियों के निर्धारण, मापन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रकटीकरण की सटीकता	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा निम्नानुसार वास्तविक परीक्षण सम्मिलित हैः • कम्पनी द्वारा अपनाई गई व्यय निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। • व्यय मदों के एक नमूने का चयन किया गया और आंतरिक नियंत्रणों तथा व्यय मदों की पहचान एवं उन्हें खाता-बहियों में निरूपित करने सम्बंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। हमनें इन नियंत्रणों के परिचालन के सम्बंध में जांच एवं अवलोकन, निष्पादन तथा साक्ष्य के निरीक्षण सम्बंधित संयुक्त प्रक्रियाओं का संयोजन किया। • राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटी करण में उपयोग की जाने वाली संबद्ध जानकारियों तथा राजस्व तथा सम्बाद्ध सूचनाओं से सम्बंधित सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच एवं प्रबंधन परिवर्तन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया।

एकल वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की उन पर रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं

8. बैंक का निर्देशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारियां शामिल हैं, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की आशा है ।

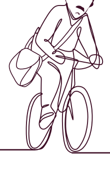

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार किन्हीं अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करते हैं तथा उन पर हम किसी भी रूप में आश्वासन अंतिम निष्कर्ष नहीं देंगे।

एकल उपरलिखित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के सम्बंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को, जब वह उपलब्ध हो जाए, पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना कि क्या अन्य सूचनायें एकल वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत हैं अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी अपनी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या कथन प्रतीत होती हैं।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं,यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, उसमें कोई महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी हैं, तो हमें अभिशासन प्रभारियों कर्ताओं को उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्वः

9. बैंक का निर्देशक मंडल भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों,कंपनी (लेखांकन) नियमावली 2004(यथा संशोधित)के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथ दिशानिर्देशों सहित,के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के संबंध में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने वाले एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बंधित अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमिताओं की रोकथाम एवं उनकी पहचानके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना एवं अनुमान; लगाना तथा पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव सम्मिलित हैं, जो एकल वित्तीय विवरणों, जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण के सम्बंध में लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से परिचालनरत थे ।

10. एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का निर्धारण करने, कार्यशील संस्था से सम्बंधित, यथा लागू, मामलों का प्रकटीकरण करने और कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन बैंक को परिनिर्धारित करने या परिचालन को बंद करने का विचार नहीं करता अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

11. निर्देशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख हेतु भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

12. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से, मुक्त हैं और लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्क संगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, परंतु यह गारंटी नहीं है

कि लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा सदैव महत्वपूर्ण मिथ्या कथन, जब ये मौजूद हो, का पता लगायेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा यह तब महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यदि अकेले या समग्र में, ये इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गये आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हों।

13. लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं तथा पूरे लेखापरीक्षा में व्यवसायिक संशय बनाये रखते हैं। हम भीः

- एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों के जोखिमों की पहचान एवं निर्धारण करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को बनाते हैं तथा निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार देते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गयी चूक, गलत बयानी अथवा आन्तरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।

- परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को बनाने के क्रम में लेखापरीक्षा के अनुकूल आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत, हम बैंक के पास उपलब्ध पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणालियों तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों की तर्क संगतता एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, घटना या स्थितियों से सम्बंधित किसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता की मौजूदगी जो बैंक के कार्यशील संस्था के रुप में कार्य करते रहने की क्षमता पर अत्यधिक संदेह उत्पन्नक करती है , के विषय में निष्कर्ष प्रदान करना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्बन्धित प्रकटीकरण पर ध्यान दिलाने अथवा यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोकने का कारण हो सकती हैं।

- एकल वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुति, संरचना एवं विषय सूची का समग्र मूल्यांकन करना और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों एवं घटनाओं इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जो एक निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो ।

14. हम अभिशासन के लिए प्रभारितों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, आन्तरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों सहित, लेखापरीक्षा के सुनियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो आन्तरिक

नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में सूचना देते हैं ।

15. हम अभिशासन के प्रभारितों को सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के सम्बंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओ का अनुपालन किया है तथा उन्हें सभी सम्बंधों एवं अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने के लिए तर्कसंगत माने जा सकते हैं, तथा सम्बंधित सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, की सूचना देंगे ।

16. अभिशासन के लिए प्रभारितों को सूचित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो मौजूदा अवधि की एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इसीलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं, जब तक कि मामलों के बारे में विधि अथवा विनियमन सार्वजनिक प्रकटीकरण मना करते हैं या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियाँ में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से बहुत अधिक होंगे।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

17. तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाता कंपनी (नियमावली) 2014 (यथा संशोधित)के नियम 7 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा अधिनियम की धारा 133 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

18. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 के उपखंड (3) की अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्धेश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोष जनक पाया ।

बी) बैंक के संव्यवहार, जो हमारी जानकारी में आए हैं बैंक के अधिकार के अंतर्गत आते हैं ।

सी) सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा तालाबंदी के कारण हम शाखाओं का दौरा करने में असमर्थ थे, तथापि प्रमुख अनुप्रयोगों के कोर बैंकिंग प्रणाली से संबद्ध होने से बैंक के प्रमुख परिचालन स्वचालित हे , लेखा परीक्षा केन्द्रीय स्तंर पर की गई क्योंकि हमारी लेखा परीक्षा के उद्धेश्य के लिए आवश्यक सभी रिकार्ड एवं आंकडे. उसमें उपलब्ध हैं।

19. अधिनियम की धारा 197 (16) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि चूंकि बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी है ; क्या बैंक द्वारा प्रदत्त मानदेय, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुरूप

हैं और क्या उपरोक्त धारा के अनुरूप कोई अधिक मानदेय दिया गया है, से संबंधित धारा 197 (16) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

20. साथ ही, अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, जहां तक लागू हो, हम रिपोर्ट करते हैं किः

ए. हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की तथा प्राप्त किया जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के आधार पर लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

बी. हमारे विचारानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियों का रखरखा बैंक द्वारा किया गया है, जहां तक कि यह हमारे द्वारा उन बहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है ;

सी. इस रिपोर्ट में विचारित एकल वित्तीय विवरण खाता बहियों के साथ ताल मेल में हैं ।

डी. हमारे विचारानुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के (यथा संशोधित), नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिस सीमा तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के साथ असंगत नहीं हैं, का अनुपालन करते हैं ।

ई. निर्देशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिये गए, निर्देशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार कोई भी निर्देशक 31 मार्च, 2020 को निर्देशक नियुक्त किये जाने के अयोग्य नहीं है.

एफ. हमने बैंक की 31 मार्च 2020 की वित्तीय रिपोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों (आईएफसीआर) का भी बैंक की उस तिथि के एकल वित्तीय विवरणों के साथ लेखा परीक्षण किया है और हमारी 21 जुलाई 2020 की रिपोर्ट के अनुबंध 1 में असंशोधित विचार व्यक्त किए गए हैं ;

जी. हमारे विचार एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर, कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के सम्बंध में:

i. बैंक ने 31 मार्च 2020 को लम्बित मुकद्दमों के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है ;

ii. बैंक ने लागू विधि अथवा लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित, महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों, यदि कोई हैं, के लिए व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर 31 मार्च 2020 को प्रावधान किया है ;

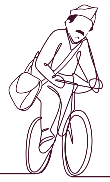

iii. बैंक द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित करने हेतु आवश्यक राशि के अंतरण में कोई विलम्ब नहीं किया गया है ; और

iv. धारिताओं तथा निर्दिष्ट बैंक नोटों में संव्यवहार से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के लिए लागू थीं, जो इन एकल वित्तीय विवरणों से संबद्ध नहीं है। अतः इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते वी के सहगल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 011519 एन

अनुज माहेश्वरी
साझेदार
सदस्यता संख्या 096530
यूडीआईएन सं 20096530AAAAAY6675

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2020

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सम दिनांक की एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध I

कम्पंनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को और के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ बैंक के इसी तिथि के वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (एफआईसीओएफआर) का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व

2. बैंक का निर्देशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में अधिनियम के तहत अपेक्षित बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन रिकार्डो की सटीकता एवं पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की तैयारी के साथ ही समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव सम्मिलित हैं, जो इसके व्यवसाय का क्रमबद्ध एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावशाली रूप से परिचालित थे।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के सम्बंध में विचार व्यक्त करना है। हमने आई सी ए आई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट (''मार्गदर्शक नोट'') तथा अधिनियम, की धारा, 143 (10) के अंतर्गत वर्णित लेखापरीक्षा के मानकों,एफआईसीओएफआर लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू, के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों एवं मार्गदर्शक नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या एफआईसीओएफआर स्थापित किए और बनाये गए और क्या इन नियंत्रणों ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली परिचालन किया, लेखापरीक्षा की योजना बनाएं एवं निष्पादित करें।

4. हमारे लेखापरीक्षा में (एफआईसीओएफआर) की उपयुक्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। एफआईसीओएफआर की हमारी लेखापरीक्षा आईएफसीएफआर की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी मौजूद है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय के साथ ही वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, के जोखिम आकलन पर निर्भर करती हैं।

5. हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है,वह बैंक की आईएफसीओएफआर प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थः

6. किसी बैंक का एफआईसीओएफआर, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बंधित तर्क संगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। एक बैंक के एफआईसीओएफआर में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो (1) उचित विवरण, सटीक एवं निष्पक्ष रूप से बैंक के संव्यवहार और आस्तियों के निपटान को प्रतिबिम्बित करने वाले रिकार्डों के रखरखाव से सम्बंधित होती हैं; (2)उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेन-देन को रिकार्ड किया गया है तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन तथा निर्देशकों के प्राधिकृतियों के अनुसार किये जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, अर्जन, उपयोग व निपटान जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के सम्बंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तरनिर्हित सीमाएं

7. सांठ- गांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों के उल्लंघन को अनुचित प्रबंधन सहित, (एफआईसीओएफआर) की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, एफआईसीओएफआर के भविष्य के लिए पूर्वानुमानों का मूल्यांकन इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण आई एफसीओएफआर अपर्याप्त हो जाए अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ जाए।

राय

8. हमारी राय में, बैंक के पास, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा 31 मार्च, 2020 तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली रूप से परिचालित थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में बताये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर पर आधारित हैं।

कृते वी के सहगल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 011519 EZ

अनुज माहेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या 096530
यूडीआईएन सं : 20096530AAAAAY6675
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2020

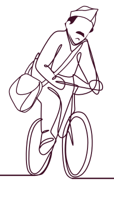

अगस्त 18.2020

निर्देशक मंडल
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
स्पीड पोस्ट सेंटर, गोल मार्केट
नई दिल्ली

विषय : इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के मामले में सीएजी द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों पर अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने दिनांक 21 जुलाई, 2020 की अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट पहले ही जारी कर दी है. साथ ही, हमें सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके विर्निदृष्क निर्देश शामिल करते हुए परिशिष्ट जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है जिन्हें अब निम्नानुसार शामिल किया गया है :

'अन्यः विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैरा में एक नया बिंदु, बिंदु 19ए शामिल किया गया है जो निम्नानुसार है :

''19एः हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीएंडएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी सभी निर्देशों का पालन किया है.

हमें दी गई जानकारी तथा स्पस्टीकरण एवं कम्पनी के रिकार्ड की हमारी जांच के अनुसार :

1. बैंक में आई टी प्रणाली के सभी लेखांकन संव्यवहारों को करने के लिए पद्धति है.
2. चूंकि यह एक भुगतान बैंक है, इसलिए इसे कोई अग्रिम प्रदान करने की अनुमति नहीं है और इसलिए ऋण पुनभुर्गतान में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी लेनदार द्वारा कंपनी को दिए गए किसी वर्तमान ऋण की पुनर्सरचना अथवा देनदारियों/ ऋणों/ ब्याज आदि के अधित्याग/ अपलेखन के मामले नहीं है.
3. केन्द्रीय / राज्य निकायों की विर्निष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य निधियों का शर्तो एवं निबन्धनों के अनुरूप समुचित लेखांकन / उपयोग किया गया.

कृते वी. के सहगल एवं एसोसियटस
सनदी लेखाकार

अनुज माहेश्वरी
(साझेदार)
सदस्यव संख्या 096530

दिनांक अगस्त 18, 2020

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2020 का तुलन पत्र

(₹ 000 में)

पूँजी व देयताएँ	अनुसूची	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
पूँजी	1	10,35,00,00,000	7,00,00,00,000
शेयर आवेदन राशि		-	-
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	-4,60,98,82,204	-1,25,70,15,363
जमाराशियाँ	3	8,55,03,12,137	94,75,91,666
उधार ली गई राशियाँ	4	-	-
अन्य देयताएँ व प्रावधान	5	2,16,22,38,607	2,17,94,15,987
योग		**16,45,26,68,540**	**8,86,99,92,290**
आस्तियाँ			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी व शेष राशि	6	32,69,56,650	10,90,28,399
बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	4,54,62,91,831	1,46,77,74,224
निवेश	8	6,94,24,93,469	3,11,27,88,269
ऋण व अग्रिम	9	-	-
अचल आस्तियाँ	10	2,00,45,16,878	2,94,86,96,101
अन्य आस्तियाँ	11	2,63,24,09,712	1,23,17,05,297
योग		**16,45,26,68,540**	**8,86,99,92,290**
आकस्मिक देयताएँ	12	25,00,000	25,00,000
वसूली के लिए बिल		-	-

(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव (पैन संख्या. AQKPB7572L)
निवासीः सी-8 फ्लेट नं 9, चंद्र नगर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (पैन संख्या. AHSPS3813Q)
ई 75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली -110021

(गौरी शंकर)
निर्देशक (डीआईएन सं. 06764026)
पी-4, 16 वां तल, टॉवर -एल, आम्रपाली सैफायर, सेक्टर 45,
गौतम बुद्ध नगर नोएडा - 201301

(मनीषा सिन्हा)
निर्देशक (डीआइएन संख्या 05145516)
सी-11/118 मोती बाग,
नई दिल्ली-110021

(पी.के.बिसोई)
अध्यक्ष (डीआईएन सं. 08642904)
निवासी डी 3, टॉवर 6, टाइप 6 ए न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-21

दिनांकः 21 जुलाई 2020
स्थानः नई दिल्ली

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सहगल एवं एसोसियट्स
सनदी लेखकार एफआरएन 011519 एन

(अनुज माहेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 096530

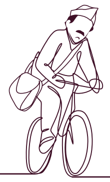

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(₹ 000 में)

	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31.03.2020	समाप्त वर्ष 31.03.2019
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	45,75,67,936	46,42,09,331
अन्य आय	14	9,00,55,601	1,85,92,991
योग		**54,76,23,537**	**48,28,02,322**
II. व्यय			
ब्याज व्यय	15	13,59,93,347	85,37,467
परिचालन व्यय	16	4,87,52,64,588	2,70,40,51,809
प्रावधान व आकिस्मताएं व्यय		-1,12,35,00,357	-57,87,79,464
योग		**3,88,77,57,578**	**2,13,38,09,812**
असाधारण मदे			
पूर्व अवधि व्यय		-	-
निवल लाभ/निवल हानि		**-3,34,01,34,041**	**-1,65,10,07,490**
लाभ हानि खाते में शेष राशि (आगे ले जाया गया)		**-1,64,40,97,989**	**69,09,501**
विनोयोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**-4,98,42,32,030**	**-1,64,40,97,989**
विनोयन			
आरक्षित निधियों (निवल) को अंतरित			
सांविधिक आरक्षित निधि		-	-
अनुदान खाता - पूँजी आरक्षित निधि		2,47,23,029	-
निवेश उतार-चढाव आरक्षित निधि		-	-
अन्य आरक्षित निधि		-	-
विशेष आरक्षित निधि		-	-
तुलन पत्र में जाई गई राशि		-5,00,89,55,059	-1,64,40,97,989
योग		**-4,98,42,32,030**	**-1,64,40,97,989**

(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव (पैन संख्या. AQKPB7572L)
निवासी: सी-8 फ्लेट नं 9, च्रद्र नगर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (पैन संख्या. AHSPS3813Q)
ई 75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली -110021

(गौरी शंकर)
निर्देशक (डीआईएन सं. 06764026)
पी-4, 16 वां तल, टॉवर -एल, आम्रपाली सैफायर, सेक्टर 45,
गौतम बुद्ध नगर नोएडा - 201301

(मनीषा सिन्हा)
निर्देशक (डीआइएन संख्या 05145516)
सी-11/118 मोती बाग.
नई दिल्ली-110021

(पी.के.बिसोई)
अध्यक्ष (डीआईएन सं. 08642904)
निवासी डी 3, टॉवर 6, टाइप 6 ए न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-21

दिनांक: 21 जुलाई 2020
स्थान: नई दिल्ली

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सहगल एवं एसोसियट्स
सनदी लेखकार एफआरएन 011519 एन

(अनुज माहेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 096530

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 1 - पूँजी		
प्राधिकृत पूँजी		
103,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	10,35,00,00,000	10,00,00,00,000
निर्गत/अभिदत्त		
103,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	10,35,00,00,000	7,00,00,00,000
प्रदत्त पूँजी		
103,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	10,35,00,00,000	7,00,00,00,000
योग	**10,35,00,00,000**	**7,00,00,00,000**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
I. सांविधिक आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	55,54,402		55,54,402	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	55,54,402	-	55,54,402
II. आरक्षित पूँजी निधि				
अ). पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	-		-	
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
(सम्पत्ति के पुनर्मूल्याकिंत अंश का मूल्यह्रास)				
ब). अन्य (अनुदान खाता)				
प्रारम्भिक शेष	38,15,28,224		3,98,75,14,304	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,21,31,595		-	
वर्ष के दौरान कटौती (प्रयुक्त)	5,01,41,366		3,60,59,86,080	-
		39,35,18,453		38,15,28,224

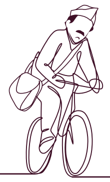

(₹ 000 में)

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
III. राजस्व तथा अन्य आरक्षित				
अ. निवेश आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटायें: लाभ एवं हानि खाता को अंतरण	-		-	
-			-	
ब. अन्य आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		-		-
स. विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (निवल)	-		-	
घटायें: वर्ष के दौरान निकासी (निवल)	-		-	
		-		-
IV. शेयर प्रीमियम				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		-		-
V. विशेष आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		-		-
VI. लाभ एवं हानि खाता में उपलब्ध शेष		-5,00,89,55,059		-1,64,40,97,989
I,II,,III,IV,V,VI का योग		**-4,60,98,82,204**		**-1,25,70,15,363**

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 3 - जमा राशि				
अ. I. मांग जमा राशि				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्य से	7,72,47,321		1,64,27,894	
		7,72,47,321		1,64,27,894
II. बचत बैंक जमाराशि		8,47,30,64,816		93,11,63,772
III. मीयादी जमा राशि				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्य स	-		-	
		-		-
I, II, III का योग		**8,55,03,12,137**		**94,75,91,666**
ब. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशि		8,55,03,12,137		94,75,91,666
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमा राशि		-		-
I, II, का योग		**8,55,03,12,137**		**94,75,91,666**
अनुसूची 4 - उधार ली गई राशि				
I. भारत में उधार ली गई राशि				
(i) भारतीय रिजर्व बैंक		-		-
(ii) अन्य बैंक		-		-
(iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियाँ		-		-
(iv) बांड (टियर-I, टियर-II गौण बांडों सहित)		-		-
II. भारत से बाहर उधार ली गई राशि		-		-
I, II, का योग		**-**		**-**
उपरोक्त I व II जमानती उधार राशियों सहित		-		-

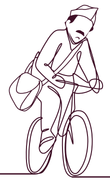

(₹ 000 में)

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान				
I. देय बिल		-		-
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल)		-		-
III. उपचित ब्याज		-		-
IV. आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-		-
V. अन्य (प्रावधानों सहित)		2,16,22,38,607		2,17,94,15,987
I, II, III, IV & V का योग		**2,16,22,38,607**		**2,17,94,15,987**

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 6 - भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष				
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		-		-
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि				
(i) चालू खाते में	32,69,56,650		10,90,28,399	
(ii) अन्य खातों में	-	32,69,56,650	-	10,90,28,399
I, II का योग		**32,69,56,650**		**10,90,28,399**

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
I. भारत में				
(i) बैंकों के पास शेष राशिः				
(ए) चालू खातों में	1,37,91,831		5,87,65,853	
(बी) अन्य जमा खातों में	4,37,2,5,00,000		1,40,90,08,371	
		4,38,62,91,831		1,46,77,74,224
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशिः				
(ए) बैंकों के पास	-	-		
(बी) अन्य संस्थानों के पास	16,00,00,000		-	
		16,00,00,000		-
योग (i एवं ii)		4,54,62,91,831		1,46,77,74,224
II. भारत से बाहर				
(i) चालू खातों में	-		-	
(ii) अन्य जमा खातों में	-		-	
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-		-	
योग		-		-
कुल योग (I व II)		**4,54,62,91,831**		**1,46,77,74,224**

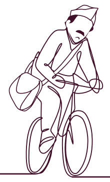

(₹ 000 में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 8 - निवेश		
I. भारत में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	6,94,24,93,469	3,11,27,88,269
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
(iii) शेयर	-	-
(iv) डिबेंचर तथा बाँड	-	-
(v) सहयोगी/सहायक संस्थाओं में निवेश	-	-
(vi) अन्य	-	-
(विविध म्युचुअल फंड एवं वाणिज्यिक पत्र इत्यादि)		
I का योग	6,94,24,93,469	3,11,27,88,269
II. भारत से बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
(ii) सहयोगी सहायक संस्थाओं में निवेश	-	-
(iii) अन्य निवेश	-	-
II का योग	-	-
III. भारत में निवेश		
I) निवेश का सकल मूल्य	6,94,35,84,302	3,11,27,88,269
ii) घटायें: मूल्यह्रास के लिए समग्र प्रावधान	10,90,833	-
iii) निवल निवेश	6,94,24,93,469	3,11,27,88,269
IV. भारत से बाहर निवेश		
I) निवेश का सकल मूल्य	-	-
ii) घटायें: मूल्यह्रास के लिए सम्रग प्रावधान	-	-
iii) निवल निवेश	-	-
I व II का कुल योग	**6,94,24,93,469**	**3,11,27,88,269**

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 9 - अग्रिम		
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	-	-
iii) मीयादी ऋण	-	-
योग	-	-
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋणों पर अग्रिमों सहित)	-	-
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	-	-
iii) अरक्षित	-	-
योग	-	-
सी. (I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	-	-
योग	-	-
सी. (II) भारत से बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से प्राप्य	-	-
ii) अन्य से प्राप्य		
(अ) खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
(ब) मीयादी ऋण	-	
(स) अन्य	-	-
योग	-	-
सी (I) व सी (II) का कुल योग	**-**	**-**

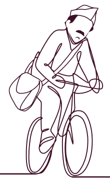

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
अनुसूची- 10 अचल आस्तियाँ				
I. **परिसर** (भूमि सहित)				
-वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-		-	
-वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटायें : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
-- पुनर्मूल्यांकन	-		-	
घटायें: आज तक मूल्यहास	-	-	-	-
II. **अन्य अचल आस्तियाँ**				
(फनीचर व फिक्सचर सहित)				
-वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	1,39,44,72,544		3,06,69,190	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,90,77,299		3,24,53,76,023	
घटायें: वर्ष के दौरान कटौती	4,43,07,544		1,88,15,72,669	
घटायें: आज तक मूल्यहास	45,24,98,211		3,96,95,352	
		91,67,44,088		**1,35,47,77,192**
III. **कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर**				
-वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	1,60,31,95,829		3,88,54,552	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,43,53,126		2,60,23,87,974	
- वर्ष के दौरान कटौती	-		1,03,80,46,698	
घटायें: आज तक परिशोधित	54,97,76,164		92,76,920	
		1,08,77,72,790		**1,59,39,18,909**
IV. **पट्टे पर ली गई आस्तियाँ**				
-वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-		-	
-वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
-वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
घटायें: आज तक मूल्यहास	-		-	
		-	-	
V. **जारी कार्य**		-	-	
I, II, III, IV का योग		**2,00,45,16,878**		**2,94,86,96,101**

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ		
I. उपचित ब्याज	18,74,87,160	7,71,17,395
II. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर कर की कटौती (प्रावधानों का निवल)	4,38,05,815	2,61,62,516
III. स्टेशनरी एवं स्टैम्प्स	-	-
IV. दावों की संतुष्टि हेतु उपार्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	-	-
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल)	1,70,42,84,389	57,96,93,199
VI. प्रतिभूति जमाराशियाँ	2,94,59,425	1,61,27,773
VII. डाक विभाग की पूँजी प्रतिबद्धता	8,88,81,399	13,30,75,622
VIII. अन्य	57,84,91,524	39,95,28,792
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII का योग	**2,63,24,09,712**	**1,23,17,05,297**

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	-	-
I (ii). अपील, संदर्भों, इत्यादि के अंतर्गत विवादित आयकर तथा ब्याज कर की मांग	-	-
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	-	-
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(ए) भारत में	-	-
(बी) भारत से बाहर	-	-
V. स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	-	-
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं	25,00,000	25,00,000
I, II, III, IV, V, VI का योग	**25,00,000**	**25,00,000**

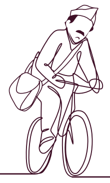

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

अनुसूची- 13 अर्जित ब्याज और लाभांश

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	-	-
II. निवेशों पर आय	24,25,26,258	19,74,63,349
III. भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक के पास शेष राशियों पर ब्याज	21,50,41,678	26,67,45,982
IV. अन्य	-	-
I, II, III, IV का योग	**45,75,67,936**	**46,42,09,331**

अनुसूची 14 - अन्य आय

	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
I. कमीशन, विनिमय व दलाली		7,32,35,105		42,95,999
II. भूमि, इमारतों, तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	-		-	
घटायें: भूमि, इमारतों, तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	-	-	1,82,961	-1,82,961
III. म्युचुअल फंड से लाभांश आय				
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ	-		-	
घटायें: विनिमय लेन-देन पर हानि	-		-	
V. निवेशों के विक्रय पर लाभ	32,90,820		3,76,286	
घटायें: निवेशों के विक्रय पर हानि	2,06,250	30,84,570	-	3,76,286
VI. भर्ती सम्बंधित आय		2,77,122		82,15,328
VII. पृथक्करण पर कर्मचारियों से वसूली		1,18,93,665		49,86,651
VII. विविध आय		15,65,139		9,01,688
I, II, III, IV, V, VI, VII का योग		**9,00,55,601**		**1,85,92,991**

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ 000 में)

अनुसूची 15 - खर्च किया गया ब्याज

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
I. जमा राशियों पर ब्याज	13,54,50,678	85,37,467
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज	5,42,669	-
III. अन्य	-	-
I, II, III का योग	**13,59,93,347**	**85,37,467**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
I . कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान		2,64,28,52,204		1,99,48,68,043
II. किराया, कर एवं बिजली		56,38,127		66,69,168
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री		2,52,34,486		1,96,51,122
IV. विज्ञापन एवं प्रचार		3,46,98,553		16,91,13,674
V. अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास	95,35,58,355		7,63,61,271	
घटायें: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के साथ समायोजित	-		-	
		95,35,58,355		7,63,61,271
VI. निर्देशकों के शुल्क, भत्ता तथा व्यय		9,80,000		11,79,800
VII. लेखापरीक्षकों का शुल्क तथा व्यय (सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षक, शाखा लेखापरीक्षकों का शुल्क व व्यय सहित)		10,77,249		10,00,000
VIII. विधि प्रभार		99,690		2,03,802
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि		40,27,39,705		7,98,61,527
X. मरम्मत एवं रखरखाव		26,64,182		7,41,428
XI. बीमा		5,34,03,956		2,38,88,199
XII. व्यवसायिक शुल्क		12,33,70,901		20,28,25,980
XIII. जीएसटी व्यय		4,01,79,669		3,16,80,829
XIV. एसआई लागत		40,63,44,615		-
XV. भर्ती व्यय		5,48,944		62,62,709
XVI.. प्रशिक्षण व्यय		36,42,378		73,10,597
XVII. आउटसोर्सिंग व्यय		3,63,56,434		3,06,11,417
XVIII. यात्रा एवं वाहन व्यय		5,82,91,360		3,66,93,596
XIX.डाक विभाग को प्रदत्त कमीशन / डाक विभाग स्टाफ की प्रोत्साहन राशि		4,08,48,978		30,27,317
XX. अन्य व्यय		4,27,34,802		1,21,01,330
I से XX तक का योग		**4,87,52,64,588**		**2,70,40,51,809**

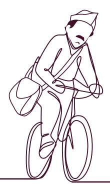

अनुसूची -17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणों को परम्परागत लागत आधार पर बनाया गया है तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में जब तक कि अन्यथा न कहा जाये, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), लागू व्यापक सांविधिक प्रावधानों, विनियामक मानदंडों, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, लेखांकन मानकों (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार हैं।

वित्तीय विवरणों को कार्यशील संस्था के आधार पर उपचय अवधारणा के साथ और सत्त् अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं जब तक अन्यथा न कहा जाए, के अनुसार बनाया गया है.

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि को रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय एवं व्यय के अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती .

3. राजस्व निर्धारण

आय एवं व्यय का लेखांकन निम्नानुसार किया जाता है ;

3.1. निवेशों पर आय का लेखांकन निम्नानुसार होता है ;

ए). ट्रेजरी बिल तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज समय समानुपातिक आधार पर आय के रूप में मान्य होता है।

बी,) निवेश विक्रय पर लाभ निवेश विक्रय तिथि को आय के रुप में मान्य होता है।

3.2. मीयादी जमा पर ब्याज समय समानुपातिक आधार पर लेखांकित होता है।

3.3. कमीशन, विनिमय, और दलाली जब और जैसे संबंधित संव्यवहार होता है,तब आय के रूप में मान्य होती हैं।

3.4. भर्ती सम्बंधित आय, जब और जैसे प्राप्त होने पर,आय के रूप में मान्य होती है।

3.5. कर्मचारियों से वसूली तथा विविध आय, जब और जैसे प्राप्त होने पर,आय के रूप में मान्य होती है।

3.6. स्वीकृत जमाराशियों एवं उधारियों से सम्बंधित सभी ब्याज व्यय उपचय आधार पर मान्य होते हैं।

3.7. अन्य सभी परिचालन व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होते हैं।

4. निवेश

4.1. बैंक निवेशों की खरीद एवं बिक्री के लिए लेखांकन की व्यापार तिथि पद्धति का पालन करते हैं, सिवाय भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के जहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान तिथि लेखांकन पद्धति का पालन किया जा रहा है।

4.2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म–ए के में विनिर्दिष्टे अनुसार, निवेशों को छः श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा

''ट्रेडिंग के लिए धारित'' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.4. निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारण करते में

ए. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए दलाली, कमीशन प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को प्रारम्भिक राजस्वव्यय माना जाता है तथा लागत में शामिल नहीं किया जाता ।

बी. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण / बिक्री की तिथि तक उपचित ब्याज अर्थात खंडित अवधि का ब्याज अधिग्रहण लागत / बिक्री प्रतिफल से बाहर है तथा यह उपचित ब्याज परंतु देया नहीं खात लेखांकित है।

सी. सभी श्रेणियों के निवेश के लिए लागत का निर्धारण भाति औसत लागत पद्धति से किया गया है।

4.5. भारतीय रिजर्व बैंक / एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार निवेशों को मूल्यांकित किया गया है।

4.6. किसी श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है. परंतु ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में समतुल्य राशि (करों एव सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित करने हेतु आवश्यक राशि का निवल) ''आरक्षित पूंजी खाता'' में विनियोजित है।

5. अचल आस्तियां

5.1. अचल आस्तियां परम्परागत लागत में से संचित मूल्यहास / परिशोधन जहां भी लागू हो, घटा कर वर्णित होती हैं।

5.2. सॉफ्टवेयर को अचल आस्ति अनुसूची में अमूर्त आस्तियों (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) के तहत पूंजीकृत तथा सम्मिलित किया गया है।

5.3. लागत में खरीद की लागत तथा पूँजीकरण की तिथि तक आस्ति पर किए गए अन्य सभी व्यय जैसे-साइट की तैयारी, स्थापना लागत एवं व्यवसायिक शुल्क सम्मिलित हैं। आस्तियों पर बाद में किए गये व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब यह ऐसी आस्तियों के भविष्य में लाभों अथवा इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है।

5.4. मूल्यहास

ए. चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अचल आस्तियों पर मूल्यहास की कोई दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, इसीलिए आईपीपीबी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

आस्ति	कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुमानित उपयोग अवधि
स्वाधिकृत परिसर	60 वर्ष
कम्प्यूटर (मोबाइल फोन, बायोमीट्रिक डिवाइस तथा सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
सर्वर्स, राउटर्स, नेटवर्क तथा सम्बंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीनें(एटीएम)	15 वर्ष
इलेक्ट्रिकल उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष

फर्नीचर तथा फिटिंग्स	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

बी. आस्ति की अनुमानित उपयोग अवधि हेतु सीधी रेखा पद्धति कटौती आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जा रहा है।

सी. अस्तियों के अधिग्रहण या निपटान के मामले में वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग किए गए दिनों की संख्या के आधार पर मूल्यह्रास समानुपातिक प्रभारित किया गया है ।

डी. रु.5,000/- तक की लागत वाली आस्तियों,खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से ह्रासित की गई हैं।

ई. सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल आस्तियाँ पहचान के लिए 1 रुपये की नाममात्र कीमत पर, अचल आस्ति रजिस्टीर में रखी गई हैं।

एफ. पुनर्मूल्यातकिंत / क्षत आस्तियों के मामले में , संशोधित आस्ति मूल्यों के संदर्भ में आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर मूल्याह्रास प्रावधान किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ

नियमित कर्मचारी सामूहिक मेडिकल बीमा, सामूहिक टर्म बीमा तथा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना द्वारा रक्षित हैं।

सेवांत लाभ

(i) भविष्य निधिः सभी पात्र कर्मचारी जो 30.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण कर चुके थे. वे कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) नयी पेंशन योजना (एनपीएस): सभी पात्र कर्मचारी ,जिन्होंरने 01.10.2018 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण किया है, वे निश्चित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत शामिल हैं। इन कर्मचारियों के सम्बंध में, बैंक मूल वेतन के साथ महंगाई भत्तों का 10% योगदान करता है और यह व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा बैंक के पास इस खाते में योगदान के अलावा बैंक की अन्य कोई देयता नहीं होती।

(iii) उपदानः बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। यह लाभ स्थिर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सेवा के दौरान मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर या सेवा समाप्ति होने पर, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों की मूल वेतन के बराबर राशि, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार अधिकतम निर्दिष्ट के अधीन एक मुश्त भुगतान है। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही इसके लिए पात्रता होती है।

7. आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए मौजूद्गा कर तथा उपगत आस्थगित कर व्यय की समग्र राशि है। मौजूद्गा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा लेखांकन मानक 22-आय पर कर के लिए लेखांकन, अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं. मौजूदा वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखांकन आय के मध्य समय के अंत तथा आगे ले जाई गई हानियों के प्रभाव को देखते हुए ,आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों एवं कर विधियों, जो तुलन पत्र की तिथि को अधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित किये गये हों, का उपयोग करके मापित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों का प्रभाव लाभ एवं हानि खाते में मान्य होता है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण एवं पुनः आकलन, प्रबंधन के निर्णय कि क्या उनकी वसूली यथोचित/वास्तविक रूप से निश्चित मानी जाती है, के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29, ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक तभी प्रावधान निर्धारित करता है, जब अतीत की घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक लाभों के रुप में संसाधनों का संभवतः बहिर्गमन होगा तथा जब दायित्व निर्वहन हेतु राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है,।

आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं होती हैं।

9. सरकारी अनुदानो के लिए लेखांकनः

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा एटीएम/माइक्रो एटीएम/पीओएस के प्रावधान द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा नकद निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उभरते प्रौद्योगिकी समाधान, ग्रामीण डाकघरों में क्षमता निर्माण, ग्रामीण डाकघरों में नकद प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने और वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करने के लिए सरकार द्वारा अधिदेश के अनुसार, अनुदान स्वीकृत किया गया है। 17 जुलाई, 2017 के संकल्प के अनुसार, बोर्ड ने अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों एवं प्रारूपों को अनुमोदित किया है। तदनुसार, प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है तथा इसे आरक्षित पूंजी निधि में जमा किया गया है। इस प्रकार बैंक सरकारी अनुदान के सम्बंध में एएस -12 के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति अपना रहा है। अनुदान का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।

अनुसूची- 18 लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूंजी:

(₹ 000 में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी*	2554542	3187845
ii.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	79.24	124.99
iii.	टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	79.24	124.99
iv.	टियर 2 पूँजी अनुपात (%)	0.00	0.00
v.	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	79.24	124.99
vi.	बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	100.00%	100.00%
vii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई इक्विटी पूँजी की राशि	3350000	3000000
viii.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी की राशि, जिसमें से :	शून्य	शून्य
	स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	स्थायी कर्ज लिखतें(पीडीआई)	शून्य	शून्य
ix.	जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से	शून्य	शून्य
	कर्ज पूँजी लिखत:	शून्य	शून्य
	अधिमान शेयर पूँजी लिखतें: (स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	शून्य	शून्य

* अनुदान की कटौती के पश्चात आस्थगित कर आस्तियाँ तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

2. निवेश:

(₹ 000 में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(1)	निवेशों का मूल्य		
i	निवेशों का सकल मूल्य	6943584	3112788
a	भारत में	6943584	3112788
b	भारत से बाहर	-	-

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ii	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1091	-
a	भारत में	1091	-
b	भारत से बाहर	-	-
iii	निवेशों का निवल मूल्य	6942493	3112788
a	भारत में	6942493	3112788
b	भारत से बाहर	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
i	प्रारम्भिक शेष	-	-
ii	जोडें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1091	-
iii	घटायें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन /प्रतिलेखन (निवल)	-	-
iv	अंतिम शेष	1091	-

3. **रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य दृष्टि से)**

(₹ 000 में)

विवरण	**वर्ष के दौरान न्यूणनतम बकाया**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसतन बकाया**	**३१ मार्च २०२० तक बकाया**
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां i सरकारी प्रतिभूतियाँ ii कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	10090.00 -	31640.00 -	12996.25 -	- -
रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां i. सरकारी प्रतिभूतियाँ ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	8640.00 -	754160 -	108464.80 -	141480.00 -

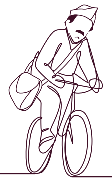

4. **गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

ए). गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का गैर-एसएलआर श्रेणी में कोई संव्यवहार नहीं हैं। अतः किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

बी). अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

31 मार्च, 2020 को बैंक के पास कोई भी गैर-एसएलआर निवेश नहीं है और इसीलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

5. **एचटीएम श्रेणी से/को विक्रय तथा अंतरण**

वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी को/से निवेश का कोई भी अंतरण नहीं था तथा एचटीएम श्रेणी से निवेश का कोई विक्रय भी नहीं था।

6. **व्युत्पन्नी**

ए. वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

बी. विनिमय व्यापारित ब्याजदर व्युत्पन्नी

सी. व्युत्पन्नी में जोखिम एक्सनपोजर का प्रकटीकरण

बैंक द्वारा व्युत्पन्नी में कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है, और इसलिए अतः इस क्षेत्र में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

7. **आस्ति गुणवत्ताः**

ए. अनर्जक आस्तियाँ

बी. पुनर्रचित खातों का विवरण

सी. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कम्पणनी (एससी/आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण।

डी. अन्य बैंक से/को खरीदी/बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ई. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

एफ. चल प्रावधानों का ब्यौरा

बैंक ''पेमेन्ट् बैंकों'' की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। अतः अनर्जक अग्रिमों, पुनर्रचना, मानक आस्तियों, तथा चल प्रावधानों सहित आस्ति गुणवत्ता सम्बंधित आवश्यक प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होता है।

8. कारोबार अनुपात

विवरण		**31.03.2020**	**31.03.2019**
i)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	3.48%	5.47%
ii)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याजेतर आय	0.68%	0.22%
iii)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ	-33.93%	-26.28%
iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-25.39%	-19.46%
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा एवं अग्रिम) (रु. लाख में)	41.75	4.30
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	(16.31)	(7.49)

9. **आस्ति देयता प्रबंधनः**

(₹ 000 में)

परिपक्वता का स्वरूप	**जमा राशियाँ**	**अग्रिम**	**निवेश**	**उधारियाँ**	**विदेशी मुद्रा आस्तियाँ**	**विदेशी मुद्रा देयताएं**
अगले दिन	61350 (6827)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2 से 7 दिन	368097 (40963)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8 से 14 दिन	429447 (47790)	शून्य	349592 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
15 से 30 दिन	शून्य	शून्य	199360 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
31दिनों से 2 माह तक	शून्य	शून्य	149119 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
2 माह से अधिक 3 माह तक	शून्य	शून्य	1236353 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
3 माह से अधिक 6 माह तक	शून्य	शून्य	1665381 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	शून्य	शून्य	3342688 (3112788)	शून्य	शून्य	शून्य

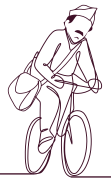

परिपक्वता का स्वरूप	जमा राशियाँ	अग्रिम	निवेश	उधारियाँ	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	7691419 (852011)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	8550312 (947592)	शून्य	6942493 (3112788)	शून्य	शून्य	शून्य

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष से सम्बंधित हैं।

10. एक्सपोजर्स:

ए. भूसंपदा क्षेत्र में एक्सपोजर
बी. पूंजी बाजार में एक्सपोजर
सी. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर
डी. बैंक द्वारा पार की गई एकल ऋणी सीमा तथा समूह ऋण सीमा के विवरण
ई. गैर जमानती अग्रिम

बैंक ''पेमेन्ट् बैंकों'' की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, एक्स पोजर से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

11. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये अर्थदंडों का प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया है।

लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण

12. एएस-6 मूल्यह्रास लेखांकन:

आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्यह्रास का अलग-अलग विवरण

(₹ 000 में)

आस्तियों का वर्ग	31.03.2020	31.03.2019
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	540499	38637
अन्य अचल आस्तियाँ	413059	37724
योग	**953558**	**76361**

13. एएस -9 राजस्व निर्धारण:

आय और व्यय निम्नानुसार लेखांकित हैं;

ए. निवेशों पर आय निम्नानुसार लेखांकित हैः

अ) ट्रेजरी बिल तथा अन्यी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज समय समानुपातिक आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

ब) निवेशों की बिक्री पर लाभ निवेश की बिक्री की तिथि पर आय के रूप में मान्य किया गया है।

बी. मीयादी जमा राशियों पर ब्याज समानुपातिक के आधार पर लेखांकित है।

सी. कमीशन, विनिमय एवं दलाली को, जैसे तथा जब अंतर्निहित लेन-देन निष्पादित होते हैं, तब आय के रूप में मान्यकिया जाता है।

डी. भती सम्बंधित आय को, जब और जैसे, प्राप्त होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ई. कर्मचारियों से वसूली तथा विविध आय को, जैसे और जब यह प्राप्त होती है, तब मान्य किया गया हैं।

एफ. स्वीकृत जमा राशियों और उधारियों से सम्बंधित सभी ब्याज व्यय उपचय आधार पर मान्य हैं।

जी. अन्य सभी परिचालन व्यय उपचय आधार पर लेखांकित हैं।

14. एएस-11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन:

बैंक ने कोई भी लेन-देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया है। इसलिए, इस क्षेत्र में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है।

15. एएस-12 सरकारी अनुदानों का उपयोग

अनुदानों का उपयोग नीचे दिया गया है;

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
प्रारम्भिक शेष	381528	3987514
जोडें.: वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य	शून्य
जोडें.: डाक विभाग के मँडलों से प्राप्तधन वापसी	37408	शून्य
घटाएंः वर्ष के दौरान उपयोग की गई	50141	3605986
	368795	381528
जोडें: उपचित ब्याज	24723	शून्य
अंतिम शेष	393518	381528

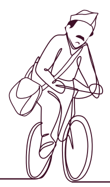

डाक विभाग के मँडलों से रिफंड के रुप में प्राप्त रु 3.74 करोड़ की राशि , जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्रांडिंग के लिये किया गया था, को अनुदान खाते में जोडा गया है.

बैंक ने नकद निकासी सुविधा'' (क्यू.आर कार्डस)उपलब्ध कराने के लिए उभरती तकनीक' शीर्ष के अंतर्गत रु 5.01 करोड़ का उपयोग अनुदान खाते में से किया है.

जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक ने स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट में निर्देश दिया था. बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपयोग की गई अनुदान पर उपचित ब्याज के रुप में रु 2.47 करोड़ की राशि को लाभ हानि खाते से अनुदान खाते में अंतरित कर दिया है।

16. **एएस-15: कर्मचारी लाभः**

ए) उपदानः

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर रु. 5.85 करोड़ की वार्षिकी खरीदी है। यह राशि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते से डेबिट की गई है।

बी) अवकाश नकदीकरणः

वर्ष के दौरान, बैंक ने कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु, सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर रु. 4.64 करोड़ का प्रावधान किया है। यह राशि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते से डेबिट की गई है।

17. **एएस 17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंगः**

(₹ 000 में)

भाग एः कारोबार खंड

क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2020 समाप्त वर्ष**	**31.03.2019 समाप्त वर्ष**
i.	राजस्व खंड		
	ए) ट्रेजरी	460653	464586
	बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	74800	4113
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	12171	14103
	योग	547624	482802
ii.	खंड परिणाम		
	ए) ट्रेजरी	21011	87966
	बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	-4492625	-2318283
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	7980	530
	योग	-4463634	-2229787

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 समाप्त वर्ष	31.03.2019 समाप्त वर्ष
iii.	अनावंटित व्यय	शून्य	शून्य
iv.	परिचालन लाभ	-4463634	-2229787
v.	प्रावधान	-1123500	-578779
vi.	असाधारण मदे (पूर्वावधि व्यय)	शून्य	शून्य
vii.	निवल लाभ	-3340134	-1651007
अन्य सूचनाः			
viii.	आस्ति खंड		
	ए) ट्रेजरी	11801950	4630825
	बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	4650718	4239167
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उपयोग	16452668	8869992
	य) अनावंटित आस्तियाँ	शून्य	शून्य
	कुल आस्तियाँ	16452668	8869992
ix.	देयता खंड		
	ए) ट्रेजरी	10250917	3493000
	बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	6201751	5376992
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उपयोग	16452668	8869992
	य) अनावंटित देयताएं	शून्य	शून्य
	कुल देयताएं	16452668	8869992

भाग ब. भौगोलिक खंडः

चूंकि बैंक केवल भारत में ही परिचालित है, अतः भौगोलिक खंड सम्बंधित रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

18. **एएस- 18 के अनुसार संबद्ध पार्टियों का प्रकटीकरण**

पारिश्रमिक कुंजी प्रबंधकीय व्यक्ति के लिए

(₹ 000 में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
निर्देशकों को प्रदत्त मानदेय	980	1180
एमडी व सीईओ को प्रदत्तमानदेय	5275	5430

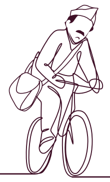

सी एफ ओ को प्रदत्त मानदेय	3860	3415
कंपनी सचिव को प्रदत्त मानदेय	1229	1193

19. **एएस 19 के अनुसार पट्टों का लेखांकन :**

एएस-19: बैंक ने पट्टे पर कोई भी परिसर/आस्ति नहीं ली है। इसलिए, पट्टे से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

20. **एएस-20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन :**

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	ईपीएस- मूल/डाइल्युटेड (रु. में)	-4.00	-3.41
बी	अंश, लाभ / (हानि) (कर के बाद), के रूप में प्रयुक्त राशि	(3340134)	(1651007)
सी	शेयर का अंकित मूल्य	Rs.10 प्रति शेयर	Rs.10 प्रति शेयर
डी	विभाजक के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	836000000	483835616

21. **एएस 22 के अनुसार आय पर कर के लिए लेखांकन :**

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ निर्धारित की हैं। जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
अगले लाभ से घाटा-पूर्ति	1037948	650061
उपदान	14712	18389
अवकाश नकदीकरण	11681	13000
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	60250	-101757
आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	**1124591**	**579693**

22. **समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन (एएस-23)**

बैंक के पास कोई भी गौण /सहायक संस्थाएं नहीं हैं और इसीलिए इस खंड के अंतर्गत किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

23. **आस्तियों की क्षति (एएस-28)**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आस्तियों को कोई क्षति नहीं हुई है।

24. ''प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं'' का अलग - अलग विवरणः

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (निवल)	1091	शून्य
एनपीए के लिए प्रावधान (निवल)	शून्य	शून्य
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
आयकर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान	-1124591	-578779
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	शून्य	शून्य
योग	**-1123500**	**-578779**

25. आरक्षित निधियों में से आहरण द्वारा कमीः

प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है और पूँजी आरक्षित निधि में जमा किया गया। अनुदान का उपयोग निम्नानुसार किया गया हैः

(₹ 000 में)

क्र.सं.	अनुदानों का निवल उपयोग	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
1.	एटीएम/माइक्रो एटीएम/ पीओएस का प्रावधान	शून्य	188.12
2.	नकद निकासी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकें, ग्रामीण डाक घरों की क्षमता निर्माण की पूर्ति, ग्रामीण डाक घरों में नकद प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना और वित्तीय साक्षरता	1.27	72.48
3.	प्रौद्योगिकी लागत	शून्य	100
	योग	**1.27**	**360.06**

26. शिकायतों एवं बैंकिंग लोकपाल के कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों का प्रकटीकरणः

ए. ग्राहक शिकायतें

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या	1352	9
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	72969	26719
सी	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	73731	25376
डी	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित शिकायतों की संख्या	590	1352

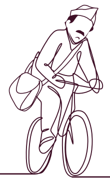

बी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
बी	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
सी	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
डी	वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

27. बैंक का एश्योरेंस कारोबार के सम्बंध में प्रकटीकरण

(₹ 000 में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	9575	शून्य

28. I. जमा राशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का संकेन्द्रणः

ए). जमा राशियों का संकेन्द्रण

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	2000	2000
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों की, बैंक की कुल जमा राशियों में प्रतिशतता	00.02%	00.21%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण सी. एक्सपोजर का संकेन्द्रण डी. एनपीए का संकेन्द्रण ई. प्रावधान कवरेज अनुपात	बैंक ''पेमेन्ट् बैंकों'' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, अग्रिमों, एक्सेपोजर/एनपीए के संकेन्द्रण तथा प्रावधान कवरेज अनुपात से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

II. क्षेत्रवार अग्रिम III. एनपीए का संचलन IV. विदेशी आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व	बैंक ''पेमेन्ट् बैंकों'' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, क्षेत्रवार अग्रिम, एनपीए के संचलन सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

29. क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड के रिवार्ड पुरस्कार अंक

बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड जारी नहीं किया है। अतः डेबिट/क्रेडिट कार्ड से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

30. प्रतिभूतिकरण से सम्बंधित प्रकटीकरण

बैंक ''पेमेन्ट् बैंकों'' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण से सम्बंधित कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

31. ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

बैंक ''पेमेन्ट् बैंकों'' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक ने ऋण चूक स्वैप से सम्बंधित कोई संव्यवहार नहीं किया है।

32. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)

यहां परिपक्व हो चुकी तथा 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया कोई गैर-दावाकृत जमा राशि नहीं है। इसलिए, वित्तीय वर्ष के दौरान जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में कोई भी राशि अंतरण के लिए कोई भी पात्र राशि नहीं थी।

33. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यू एफसीई)

बैंक ने इस अवधि के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा लेन-देन नहीं किया है तथा इसके पास कोई अरक्षित एक्स पोजर नहीं है। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं है।

34. अंतः समूह एक्सपोजर

बैंक ''पेमेन्ट् बैंकों'' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसीलिए इस खंड में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

35. मानदेय का प्रकटन

आई पीपीबी 100 प्रतिशत भारत सरकार के स्वातमित्वं में है, इसलिए पूर्ण कालिक निर्देशकों / मुख्य कार्यपालकों / अधिकारियों / जोखिम धारियों और नियंत्रण कार्य संबंधी स्टाफ के मुआवजे. का प्रकटन, जो निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है,आईपीपीबी पर लागू नहीं होता ।

अन्य टिप्पणियाँ:

36. अनुदान पर ब्याज

जैसा कि लेखा व महा लेखा परीक्षा नियंत्रक ने वित्तीय वर्ष 2018 -10 की अपनी स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट में निर्देशित किया था , बैंक ने अनुदान के अप्रयुक्त भाग पर उपचित ब्याज के रुप में लाभ हानि खाते में से रु 2.47 करोड़ की राशि अनुदान खाते में अंतरित कर दी है।

37. आकस्मिक देयताएं

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के अंतर्गत दर्शाई गई 25 लाख रुपयों की आकस्मिक देयता भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पक्षमें जारी की गई. 100 % मियादी जमा से आरक्षित नम्बर 2027 तक वैद्य बैंक गारंटी को दर्शाती है।

38. शेयरों का राइट इशु

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान बैंक ने भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का राइट इशु जारी करके 335 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूँजी एकत्र की है।

39. अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल आस्तियाँ

अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल आस्तियों को 1 रुपये की नाममात्र कीमत पर अचल आस्ति रजिस्टर मे रखा गया है ।

40. कोविड 19 महामारी

नई कोरोना वायरस (कोविड - 19) महामारी भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में तेजी से लगातार फैल रही है जिसके परिणाम स्वोरूप आर्थिक गतिविधियाँ में गिरावट और वित्तीय बाजार में अनिश्चितता आई ।

ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र के कामगारों, विस्थापित श्रमिकों, तथा समाज के अन्यर आर्थिक रुप से संवेदनशील वर्ग बुरी तरह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. ये वर्ग बैंक का लक्षित वर्ग है और इसीलिए इसकी बैंकिंग आवश्यकताओं का ध्यान रखने में बडी चुनौतियाँ सामने आई. जब स्थितियां धीरे - धीरे सुधार रही हैं बैंक ने आगे बढक़र इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया है ।

कोविड-19 महामारी बैंक के परिचालनों और वित्तीय परिणामों को किस सीमा तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य की संभावनाओं, जो अत्यधिक अनिश्चित है,और जिनके प्रभाव का आकलन या अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अन्यं अनेक चीजों के साथ, महामारी की तीव्रता से सम्बंधित नई जानकारी और इसके प्रसार को रोकने या कम करने से सम्बंधित सरकार द्वारा अधिदेशित अथवा बैंक द्वारा चयनित कार्यवाही पर निर्भर है ।

41. आईपीपीबी शाखाओं तथा एक्सेस प्वाइंट की सज्जा /ब्राडिंग के लिए डाक विभाग के अंचल कार्यालयों को दी गई धन राशि)

आईपीपीबी/डाक विभाग ने (आईपीपीबी निधियों से) वित्तीय वर्ष 2017-18 में डाक विभाग के 23 अंचलों को 650 आईपीपीबी शाखाओं (रु. 16.81 करोड़) की सज्जा एवं आईपीपीबी की सभी शाखाओं / डाक विभाग को सभी एक्सेस प्वाइंट जैसे-एच.ओ., एस.ओ. एवं बी.ओ. (रु. 49.47 करोड़) को प्रचार-प्रसार के लिए रु. 66.28 करोड़ राशि प्रेषित की थी। 1 सितम्बर, 2018 से आईपीपीबी की सभी शाखाएं सक्रिय हो चुकी हैं। इसलिए, आईपीपीबी शाखाओं की सज्जा के लिए प्रदान की गई सम्पूर्ण ,राशि रु. 16.81 करोड़ 01 सितम्बर, 2018 को पूंजीकृत की गई। तत्पश्चात अभी तक बैंक को कई भागों में 12.44 करोड़.रुपये के बिल तथा 31.3.2020 तक 1.50 करोड़.रुपये के रिफंड प्राप्त हुए हैं ।इस तथ्य पर अनिश्चितता के कारण कि क्या 2.87 करोड़.रुपये की राशि के बिल प्राप्त होंगे या डाक विभाग से धन वापसी प्राप्त होगी और डाक विभाग से पूरे बिल/ धन वापसी में असामान्य देरी के कारण प्रबंधन ने इस राशि को अचल आस्तियों से रिवर्स करने का फैसला किया है और इसे डाक विभाग (पूंजी प्रतिबद्धता) के अंतर्गत डाक विभाग से फर्नीचर से संबंधित प्राप्य राशि के रुप में रखा गया है . बैंक खाता बहियों में उपयुक्त प्रविष्टि करेगा जब ओर जैसे डाक विभाग से बिल / रिफंड प्राप्त होंगे. तदनुसार उस फर्नीचर पर मूल्यह्रास को भी रिवर्स किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ व हानि खाता में समायोजित किया गया है ।

इसी प्रकार ब्राडिंग के लिए अग्रिम दिए गए 49.47 करोड़.रुपये में से बैंक ने 31 मार्च 2019 तक 36.16 करोड़ रुपये व्यय के रुप में विनियोजित किए है. 13.31 करोड़ रुपये की शेष राशि को डाक विभाग (पूँजी प्रतिबद्धता)के रुप में दिखाया था, बैंक ने अभी 31.3.2020 तक भागों में, 32.43 करोड़ रुपये के बिल और 11.02 करोड़ रुपये की धन वापसी प्राप्त की है । ब्राडिंग से संबंधित 6.02 करोड़ रुपये के बिल / रिफंड अभी तक डाक विभाग से प्राप्य है और इन्हें डाक विभाग (पूँजी प्रतिबद्धता) के तहत प्राप्य राशियों के रुप में दिखाया गया है।

आईपीपीबी ऊपर बनाए गए 8.89 करोड़ रुपये (फर्नीचर से संबंधित 2.87 करोड़ रुपये तथा ब्राडिंग से सम्बंधित 6.02 करोड़ रुपये) के लिए डाक विभाग से लगातार अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है ।

चूंकि सज्जा, तथा प्रचार-प्रसार से सम्बंधित कार्य डाक विभाग द्वारा करवाया गया था, इसीलिए कुछ विक्रेताओं ने डाक विभाग के नाम पर बिल प्रस्तुत किये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डाक विभाग का मूल आईपीपीबी विभाग है। आईपीपीबी ने डाक विभाग के नाम से उक्त बिलों को अपना समझ कर स्वीकार किया है और अपनी खाता बहियों में इनको लेखांकित किया है।

42. एसआई लागत

आईपीपीबी ने अपने समर्पित एवं आवश्यकतानुसार तैयार प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन के लिए रु. 801 करोड़ (जीएसटी सहित) राशि की संविदा दी है। संविदा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो 12 जुलाई, 2018 से प्रभावी है।

करार के अनुसार यह राशि पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, करार में उल्लिखित उपलब्धियों के आधार पर देय हो जायेगी। विक्रेता तदनुसार, जब और जैसे भुगतान देय हो जाये, आईपीपीबी के पास बीजक प्रस्तुतत करेगा और बीजक की राशि उस समय पर देय राशि तक सीमित है।

विवेक सम्मत लेखांकन व्यवहार के रुप में आईपीपीबी अपने स्वामित्व वाले और प्रयुक्त किए गए (प्रारम्भ की तारीख तक) हार्ड वेयर की पूरी राशि 106.32 करोड़ रुपये को 31 मार्च 2019

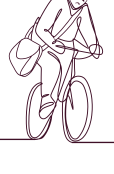

को पूंजीकृत कर दिया हैं । यह हार्ड वेयर बैंक के नाम में बीमित हैं । 31 मार्च 2020 तक 96.84 करोड़ रुपये के बिल प्राप्त हुए । 9.48 करोड.रुपये के शेष बिल संविदा की शेष अवधि के दौरान प्राप्त होंगे ।

इसी प्रकार इसके स्वामित्व और प्रयुक्त किए गए (प्रारम्भ की तारीख तक) साफ्टवेयर की 240.46 करोड.रुपये की पूरी राशि को भी 31 मार्च 2019 को पूंजीकृत कर दिया हैं जिसमें से 31 मार्च 2020 तक 194.40 करोड़ रुपये के बिल प्राप्त हुए हैं । 46.06 करोड़ रुपये के शेष बिल संविदा की शेष अवधि में प्राप्त किए जाएंगे।

उपरोक्त हार्डवेयर एव साफ्टवेयर को बैंक के अचल आस्ति रजिस्टर में समुचित रुप से दर्ज किया गया हैं और तदनुसार उन पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया हैं। इस हार्डवेयर की जांच और लेखा परीक्षा स्वतंत्र लेखा परीक्षक मेर्स. एसटीक्यूसी आई टी सर्विसेज द्वारा अलग से की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने 78.73 करोड.रुपये का भुगतान (कार्य निष्पादन के आधार पर) विक्रेता को किया हैं जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एएमसी शुल्क, कार्यान्वयन एव अनुकूलन शुल्क के लिए भुगतान शामिल हैं।

(प्रियंका भटनागर)
कम्पनी सचिव
(पैन संख्या AQKPB7572L)
निवासी - सी-8 फ्लैट सं. 9, चंद्र नगर
गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश

(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन संख्या AHSPS3813Q)
ई-75, आनंद निकेतन,
नई दिल्ली - 110021

(गौरी शंकर)
निर्देशक
(डीआईएन 06764026)
पी-4, 16वां तल,
टॉवर एल, आम्रपाली सैफायर
सेक्टएर - 45,गौतम बुद्ध नगर,
नोएडा -201301

(मनीषा सिन्हा)
निर्देशक
(डीआईएन 05145516)
सी-11/118 , मोती बाग.
नई दिल्ली - 110021

(पी. के. बिसोई)
अध्यक्ष
(डीआईएन 08642904)
डी 3 ,टॉवर 6, टाइप 6 ए ,न्यूए मोती बाग,
नई दिल्ली- 110021

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सहगल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 011519N)

(अनुज माहेश्वरी)
साझेदार सदस्यता संख्या- 096530

दिनांकः 21/07/2020
स्थानः नई दिल्ली

नकदी प्रवाह विवरण

विवरण		राशि (रुपयों में) (2019-20)	राशि (रुपयों में) (2018-19)
ए. परिचालनों से नकदी प्रवाह			
i) कर पश्चात निवल लाभ		-3,340,134,041	-1,651,007,490
जोडें: कर के लिए प्रावधान			
(आस्थागित कर सहित)		-1,123,500,357	-578,779,464
कर पूर्व लाभ	i)	-4,463,634,398	-2,229,786,954
ii) समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास		953,558,355	76,361,271
निगमन व्यय बट्टे खाते में डाला गया		-	-
पूर्वावधि मद बट्टे खोते में डाला गया		-	-
घटाएं: अनुदानों में से प्रयुक्त निवल राशि		12,732,800	3,605,986,080
कुल समायोजन	ii)	940,825,555	-3,529,624,809
परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	(i)+(ii)	-3,522,808,843	-5,759,411,763
iii) परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन			
निवेशों में कमी (निवल)		-3,829,705,200	3,325,089,364
अन्य आस्तियों में कमी (निवल)		-277,204,057	59,028,575
जमाराशियों में वृद्धि (निवल)		7,602,720,471	935,548,723
अन्य देयताओं में वृद्धि (निवल)		-17,177,380	2,072,949,158
परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में नवल परिवर्तन के लिए कुल समायोजन	(iii)	3,478,633,833	6,392,615,820
परिचालनों में से प्रयुक्त नकदी प्रवाह (i)+(ii)+(iii)		-44,175,010	633,204,057
प्रदत्त कर		-	-
परिचालनों में से प्रयुक्त नकदी प्रवाह	A	-44,175,010	633,204,057
बी. निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह			
अचल आस्तियों की खरीद		-9,379,132	-2,957,617,934
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	B	-9,379,132	-2,957,617,934

सी. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह

विवरण			राशि (रुपयों में) **(2019-20)**		राशि (रुपयों में) **(2018-19)**
शेयर पूंजी का निर्गम			3,350,000,000		3,000,000,000
अनुदानों की प्राप्ति			-		-
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह	C		3,350,000,000		3,000,000,000
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (ए)+(बी)+(सी')	D		**3,296,445,858**		**675,586,123**
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी समतुल्य					
आर बी आई के पास नकद व शेष		109,028,399		3,340,292	
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		1,467,774,224		897,876,208	
			1,576,802,623		901,216,500
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य					
आर बी आई के पास नकद व शेष		326,956,650		109,028,399	
बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि		4,546,291,831		1,467,774,224	
			4,873,248,481		1,576,802,623
			3,296,445,858		**675,586,123**

(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव (पैन संख्या. AQKPB7572L)
निवासीः सी-8 फ्लेट नं 9, चद्र नगर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (पैन संख्या. AHSPS3813Q)
ई 75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली -110021

(गौरी शंकर)
निर्देशक (डीआईएन सं. 06764026)
पी-4, 16 वां तल, टॉवर -एल, आम्रपाली सैफायर, सेक्टर 45,
गौतम बुद्ध नगर नोएडा - 201301

(मनीषा सिन्हा)
निर्देशक (डीआइएन संख्या 05145516)
सी-11/118 मोती बाग.
नई दिल्ली-110021

(पी.के.बिसोई)
अध्यक्ष (डीआईएन सं. 08642904)
निवासी डी 3, टॉवर 6, टाइप 6 ए न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-21

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सहगल एवं एसोसियट्स
सनदी लेखकार एफआरएन 011519 एन

(अनुज माहेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 096530

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

रिप.वि.लेखा/एफ-254/IPPBL/2019-20/355

गोपनीय

क्रमांक ....
No.

कार्यालय

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार

शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय) दिल्ली-110054

OFFICE OF THE

Principal Director of Audit, Finance & Communication

SHAMNATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI-110054

सत्यमेव जयते

दिनांक 09/10/2020
Date

सेवा में,

अध्यंक्ष
भारतीय पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि.(आईपीपीबीएल),
नई दिल्ली- 110001

विषय: भारतीय पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबीएल) के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहतसीएजी की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एतदद्वारा सूचना तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईपीपीबीएल के वार्षिक खातों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत 'शून्य टिप्पणी' प्रमाणपत्र प्रेषित करता हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि

हस्ताक्षरित

(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(वित्त एवं संचार)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबीएल) के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी एल) के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा, उनकी दी गई 27 जुलाई, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईपीपीबीएल के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्र तक पहुंचके बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा लेखांकन रिकार्डों में से कुछ की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अथवा परिशिष्ट देना हो.

कृते एवं भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
की ओर से

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशकलेखापरीक्षा
(वित्तक एवं संचार)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 08.10.2020

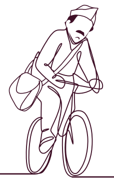

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए साचिविक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	टिप्पणी/ मत	प्रबंधन का उत्तर
01	सीएफओ की नियुक्ति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संस्तुति के बिना की गई.	श्रीमती सविता गुप्ता,पूर्व सीएफओ के प्रभार को श्रीमती सीमा सिंह ,जीएम एचआर को देने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया तात्कालिक निर्णय था और इसलिए यह एनआरसी के माध्यम से प्रस्तावित नहीं किया गया. अब से बोर्ड और केएमपी की सभी नियुक्तियां एनआरसी की संस्तुति के बिना नहीं की जाएंगी.
02	बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों की संख्या 31 मार्च, 2020 को बहुमत में नहीं थी जैसा कि भुगतान बैंकों के लाईसेंसीकरण के लिए दिशानिर्देशों (लाईसेंसीकरण दिशा निर्देश) में विनिर्दिष्ट हैं, दस निर्देशकों में से पाँच स्वतंत्र निर्देशक हैं.	मंत्रालय द्वारा पहले ही आईपीपीबी के तीन स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है.
03	कम्पनी के रिकार्डो के अनुसार, कुछ मामलों में, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क के साथ फार्म एवं विवरणियां फाइल की हैं.	इस कथन को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है.

इंडिया पोस्ट
पेमेन्ट्स बैंक

India Post
Payments Bank